Notes

MA- Political Science

Semester - Ist

Understanding Globalisation (VOC)

(वैश्वीकरण की समझ)

Course Code – 20POL201MV01

Syllabus

MA- Political Science

Semester -Ist

Understanding Globalisation (VOC)

(वैश्वीकरण की समझ)

Course Code - 24POL201MV01

Unit 1

Globalization: What is it? Economic, Political, Technological and Cultural Dimensions

Unit 2

Contemporary World Actors: United Nations, World Trade Organisation, Group of 77 Countries

Unit 3

Contemporary World Issues: Global Environmental Issues (Global Warming, Bio-diversity, Resource Scarcities), Poverty and Inequality

Unit 4

International Terrorism

Unit-I

वैश्वीकरण का अर्थ— किसी वस्तु, विचार, सेवा या पूंजी का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध आदान-प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है।

प्रश्न 1. वैश्वीकरण के राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक , तकनीकी पक्ष या आयाम का वर्णन करें।

उत्तर- वर्तमान समय में संचार क्रान्ति (Communication Revolution) ने समस्त संसार की दूरियां कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी कारण सम्पूर्ण विश्व एक 'विश्व गांव' (Global Village) में बदल गया है। विश्व में संचार क्रान्ति की प्रभावशाली भूमिका के कारण एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे वैश्वीकरण (Globalisation) कहा जाता है।

वैश्वीकरण के आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं राजनीतिक पक्षों या आयामों का वर्णन इस प्रकार है-

1. आर्थिक पक्ष या आयाम (Economic Manifestations)- वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आर्थिक आधार पर ही वैश्वीकरण की धारणा ने अधिक जोर पकड़ा है। आर्थिक वैश्वीकरण के अन्तर्गत ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन तथा विश्व बैंक प्रायः इस प्रकार की नीतियां बनाते हैं, जो विश्व के अधिकांश देशों को प्रभावित करती हैं। वैश्वीकरण के कारण विश्व के अधिकांश देशों में आर्थिक प्रवाह बढ़ा है। इसके अन्तर्गत वस्तुओं, पूंजी तथा जनता का एक देश से दूसरे देश में जाना सरल हुआ है। विश्व के अधिकांश देशों ने आयात से प्रतिबन्ध हटाकर अपने बाजारों को विश्व के लिए खोल दिया है। वैश्वीकरण के चलते बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपना अधिकांश निवेश विकासशील देशों में कर रही हैं। यद्यपि वैश्वीकरण के समर्थकों के अनुसार वैश्वीकरण के कारण अधिकांश लोगों को लाभ होगा तथा उनका जीवन स्तर सुधरेगा। परन्तु वैश्वीकरण के आलोचक इससे सहमत नहीं हैं, उनके अनुसार विकसित देशों ने अपने वौता नियमों को सरल बनाने की अपेक्षा अधिक कठोर बनाना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण का लाभ एक छोटे से भाग में रहने वाले लोगों को मिला है, सभी लोगों को नहीं।

2. सांस्कृतिक पक्ष या आयाम (Cultural Manifestations)- वैश्वीकरण का सांस्कृतिक पक्ष भी लोगों के सामने आया है। हम विश्व के किसी भी भाग में रहें, वैश्वीकरण के प्रभावों से मुक्त नहीं हो सकते। वर्तमान समय में लोग क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या पहनते, क्या सोचते हैं, इन सभी पर वैश्वीकरण का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। वैश्वीकरण से विश्व में सांस्कृतिक समरूपता का उदय होना शुरू हुआ है, परंतु यह कोई विश्व संस्कृति नहीं है बल्कि यूरोपीय देशों एवं अमेरिका द्वारा अपनी संस्कृति को विश्व में फैलाने का परिणाम है। लोगों द्वारा पिज्जा एवं बर्गर खाना तथा नौली जीन्स पहनना अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव ही है। विश्व के विकसित देश अपनी आर्थिक ताकत के बल पर विकासशील एवं पिछड़े देशों पर अपनी संस्कृति लादने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि एक देश विशेष को संस्कृति के पतन होने का डर पैदा हो गया है। परन्तु वैश्वीकरण के समर्थकों का कहना है कि संस्कृति के पतन की आशंका नहीं है, बल्कि इससे एक मिश्रित संस्कृति का उदय होता है, जैसे कि आज भारत तथा कुछ हद तक अमेरिका के युवा नीली जीन्स पर खादी का कुर्ता पहनना पसन्द करते हैं।

3. राजनीतिक पक्ष या आयाम (Political Manifestations)- वैश्वीकरण का प्रभाव आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों से ही नहीं बल्कि राजनीतिक पक्ष से भी देखा जाना चाहिए। राजनीतिक पक्ष पर वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन तीन आधारों पर किया जा सकता है। प्रथम यह कि वैश्वीकरण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के हस्तक्षेप से राज्य कमजोर हुए हैं। राज्यों के कार्य करने की क्षमता एवं क्षेत्र में कमी आई है। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की धारणा धीरे -धीरे कमजोर पड़ रही है क्योंकि राज्य कई कल्याणकारी कार्यों से अपना हाथ खींच रहा है। वर्तमान समय में पुनः न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य की धारणा का विकास हो रहा है अर्थात् राज्य केवल कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यों तक ही अपने आपको सीमित रख रहा है।

दूसरा यह है कि कुछ विद्वानों के अनुसार वैश्वीकरण के प्रभाव के बावजूद भी राज्यों की शक्तियां कम नहीं हुई हैं। राज्य आज की विश्व राजनीति में प्रमुख स्थान रखता है। राज्य जिन कार्यों से अपने आपको अलग कर रहा है वह अपनी इच्छा से कर रहा

है किसी के दबाव में नहीं। तीसरे यह कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हुए हैं। आधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की मदद से राज्य अपने नागरिकों को लाभदायक एवं सही सूचनाएं प्रदान करने में सफल हुए हैं। तकनीक एवं सूचना के प्रभाव से राज्यों को अपने कर्मचारियों की मुश्किलों को जानकर उन्हें दूर करने का अवसर मिला है।

4. वैश्वीकरण का तकनीकी पक्ष/आयाम— वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी प्रसार की बढ़ती गति है । इसमें शामिल हैं:

० प्रौद्योगिकी प्रवाह : सीमाओं के पार प्रौद्योगिकी और ज्ञान का आदान-प्रदान

० नवाचार तक पहुंच : विदेशी नवाचारों तक अधिक आसानी से पहुंचने की क्षमता

० तकनीक अपनाना : कंपनियों को नई तकनीकें अपनाने के लिए प्रोत्साहन

० उत्पादकता : उत्पादकता में वृद्धि, विशेष रूप से उभरते बाजारों में

० आय अंतराल : देशों के बीच आय के अंतर में कमी

० वैश्विक रुझान : कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आभासी वास्तविकता और साइबर सुरक्षा जैसी प्रौद्योगिकी में वैश्विक रुझानों का उदय

० मानव संसाधन प्रबंधन : मानव संसाधन प्रबंधन पर वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का प्रभाव

तकनीकी वैश्वीकरण के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

मोबाइल बैंकिंग का विकास , बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निगमों का विकास , उप-सहारा अफ्रीका में मोबाइल फोन की पहुंच में पांच गुना वृद्धि

Q. वैश्वीकरण क्या है ? इसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर- वर्तमान समय में संचार क्रान्ति (Communication Revolution) ने समस्त संसार की दूरियां कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी कारण सम्पूर्ण विश्व एक 'विश्व गांव' (Global Village) में बदल गया है। विश्व में संचार क्रान्ति की प्रभावशाली भूमिका के कारण एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे वैश्वीकरण (Globalization) कहा जाता है। वैश्वीकरण और लोक प्रशासन का परस्पर गहरा सम्बन्ध है, क्योंकि दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं।

वैश्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं (Meaning of Definitions) - वैश्वीकरण, विश्वव्यापीकरण या भूमण्डलीकरण (Globalization) एक रोमांचक शब्द है जो अर्थव्यवस्था के बाजारीकरण से सम्बन्धित है। यह शब्द व्यापार के अवसरों की जीवन्तता एवं उसके विस्तार का द्योतक है। वैश्वीकरण की अवधारणा को विचारकों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है-

1. एन्थनी गिडेन्स (Anthony Giddens)— के अनुसार वैश्वीकरण की अवधारणा को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-

(i) वैश्वीकरण से अभिप्राय विश्वव्यापी सम्बन्धों के प्रबलीकरण से है।

(ii) वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जो दूरस्थ प्रदेशों को इस प्रकार जोड़ देती है कि स्थानीय घटनाक्रम का प्रभाव मीलों दूर स्थित प्रदेशों की व्यवस्थाओं एवं घटनाओं पर पड़ता है।

2. राबर्टसन (Robertson) के मतानुसार, "वैश्वीकरण विश्व एकीकरण की चेतना के प्रबलीकरण से सम्बन्धित अवधारणा है।"

3. ब्रार्यबंटी के शब्दों में, "वैश्वीकरण की प्रक्रिया केवल विश्व व्यापार की खुली व्यवस्था, संचार के आधुनिकतम तरीकों के विकास, वित्तीय बाजार के अन्तर्राष्ट्रीयकरण, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बढ़ते महत्त्व, जनसंख्या देशान्तर गमन तथा विशेषत.

लोगों, वस्तुओं, पूंजी आंकड़ों तथा विचारों के गतिशील से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि संक्रामक रोगों तथा प्रदूषण का प्रसार भी इसमें शामिल है।"

साधारण शब्दों में वैश्वीकरण से अभिप्राय है कि किसी वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देशों के साथ अप्रतिबन्धित आदान-प्रदान। वैश्वीकरण तभी सम्भव हो सकता है जब इस प्रकार के आदान-प्रदान में किसी देश द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न न किया जाए।

वैश्वीकरण के अंग (Organs of Globalisation)- विद्वानों के मतानुसार वैश्वीकरण के चार प्रमुख अंग हैं —

(1) व्यापार अवरोधकों (Trade Barriers) को कम करना ताकि विभिन्न देशों में वस्तुओं का निर्बाध रूप से आदान-प्रदान हो सके।

(2) ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिससे विभिन्न देशों में तकनीक (Technology) का बेरोक-टोक प्रवाह हो सके।

(3) ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे विभिन्न देशों में पूंजी (Capital) का प्रवाह स्वतन्त्र रूप से हो सके।

(4) ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे श्रम (Labour) का निर्बाध रूप से प्रवाह हो सके।

विशेष रूप से विकसित देशों के समर्थक विचारक वैश्वीकरण का अर्थ निर्बाध व्यापार प्रवाह, निर्वाध पूंजी-प्रवाह और निर्वाध तकनीक प्रवाह तक सीमित कर देते हैं। परन्तु विकासशील देशों के समर्थक विचारकों का मानना है कि यदि समूचे विश्व को सार्वभौम ग्राम (Global Village) में परिभाषित करना है तो श्रम के निर्वाध प्रवाह की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पिछड़े और विकासशील देशों में श्रम की अधिकता है। अतः इनमें श्रम गतिशीलता को मान्यता देना आवश्यक है।

वैश्वीकरण की विशेषताएं (Characgeristics of Globalisation) - वैश्वीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं—

(1) वैश्वीकरण के कारण यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ है, जिससे भूगौलिक दूरियां समाप्त हो गई हैं।

(2) वैश्वीकरण के कारण श्रम बाजार भी विश्वव्यापी हो गया है, क्योंकि अब बहुत अधिक मात्रा में लोग रोजगार के लिए दूसरे देश में जाते हैं।

(3) वैश्वीकरण के कारण इलेक्ट्रोनिक मीडिया का न्यायक प्रचार एवं प्रसार हुआ है, जिससे एक वैश्विक संस्कृति की स्थापना हुई है।

(4) वैश्वीकरण के कारण शिक्षा का भी वैश्विक स्वरूप उभर कर सामने आया है। वैश्वीकरण के अनेक विकासशील देशों के शिक्षा कार्यक्रम भी विश्व स्तरीय हो गए हैं।

(5) वैश्वीकरण के कारण वर्तमान समय में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोज्जगार प्रदान कर रही हैं।

(6) वैश्वीकरण के कारण पेशेवरों (Professionals) की आवाजाही बहुत अधिक हो गई है।

(7) श्रम बाजार के कारण लोगों को रोजगार के लिए दूसरे देशों में भेजने के लिए जगह-जगह पर ब्रोकर एवं एजेन्ट सक्रिय हो गए हैं।

(8) वैश्वीकरण से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर धन का आदान-प्रदान या हस्तान्तर आसान हो गया है।

Q. **वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए।**

उत्तर- **पक्ष में तर्क (Arguments in Favour)** (सकारात्मक पक्ष) -

(1) वैश्वीकरण तेजी से बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में नितान्त अनिवार्य प्रक्रिया है। यह विद्यमान तथा लगातार बढ़ रही अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्निर्भरता का स्वाभाविक विकास है।

(2) वैश्वीकरण के कारण पूंजी की गतिशीलता बढ़ी है और इसका चलन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। इससे विकासशील देशों की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं पर निर्भरता कम हुई है।

(3) यद्यपि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कुछ दोष हैं, लेकिन इससे यह प्रक्रिया व्यर्थ नहीं हो जाती। वास्तव में वैश्वीकरण की प्रक्रिया अभी प्रारम्भिक दौर में है। जब एक बार यह प्रक्रिया पूर्ण होकर सच्चे अर्थों में विश्वव्यापी (Global) बन जाएगी तो यह समूचे विश्व के निरन्तर विकास का साधन बनेगी।

(4) विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation) को वैश्वीकरण के एक उपकरण के रूप में समझना चाहिए। यदि इस संगठन द्वारा विश्व व्यापार को निष्पक्ष रूप से नियमित किया जाए तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया अत्यन्त लाभदायक हो सकती है।

(5) पिछड़े देशों में तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा इन देशों को उन्नत तकनीक का लाभ मिल सकता है।

(6) वैश्वीकरण ने विश्वव्यापी सूचना क्रान्ति को जन्म दिया है। इससे समाज का प्रत्येक वर्ग जुड़ने लगा है। इससे सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिला है।

(7) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के फैलाव से रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ गई हैं। साथ ही रोजगार की गतिशीलता में भारी वृद्धि हुई है।

(8) वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने उदारवादी विचारों के प्रसार द्वारा शासन व्यवस्थाओं पर गहन प्रभाव डाला है। चीन जैसा कट्टर साम्यवादी देश भी उदारवाद की प्रक्रिया से प्रभावित हुआ है।

विपक्ष में तर्क (Arguments in Against) (नकारात्मक पक्ष)— वैश्वीकरण के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं-

(1) वैश्वीकरण की प्रक्रिया का समर्थन विकसित देश विशेषतया अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जापान, जर्मनी आदि कर रहे हैं। आलोचकों के अनुसार विकसित देशों को अपना तैयार माल बेचने के लिए बड़े बड़े बाजारों की वैश्वीकरण की प्रक्रियां द्वारा प्राप्त हो सकते हैं।

(2) आलोचकों के अनुसार बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

(3) वैश्वीकरण की प्रक्रिया का लाभ अधिकांश जनता तक नहीं पहुंच पाया है। इससे आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला है। विशेषतया तीसरी दुनिया में गरीब देशों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

(4) आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण स्वाभाविक रूप से स्वीकृत नहीं बल्कि एक थोपी हुई प्रक्रिया है।

(5) यह अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया है जो लोकतान्त्रिक पर्दे में चलाई जाती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का लाभ समाज का उच्च सुविधा सम्पन्न वर्ग उठा रहा है।

(6) सरकार द्वारा निरन्तर सब्सिडी एवं अन्य सहायता राशि में कटौती की जा रही है। इसकी प्रत्यक्ष मार निर्धन वर्ग पर पड़ रही है।

(7) वैश्वीकरण ने एक सांस्कृतिक संकट खड़ा कर दिया है। वैश्वीकरण में बड़ी तेजी से उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(8) आलोचकों का विचार है कि वैश्वीकरण का शिक्षा व्यवस्था पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व स्थापित हो गया है जिससे अन्य भाषाओं पर प्रभाव पड़ा है। शिक्षा का तीव्र गति से वाणिज्यीकरण (Commercialisation) हो रहा है और बाज़ारोन्मुखी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में मूल्यों एवं नैतिकता के स्तर में गिरावट आई है।

निष्कर्ष (Conclusion) - वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वैश्वीकरण को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। समस्या यह है कि वैश्वीकरण के नाम पर कुछ सम्पन्न देशों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। विकसित देश अपनी अत्याधुनिक तकनीक, पूंजी व व्यापारिक स्थिति के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया को दोषपूर्ण बना रहे हैं। अभी तीसरी दुनिया के देशों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ठीक से लागू नहीं हुई है। अतः अभी से इसका मूल्यांकन करना उचित भी नहीं है।

वैश्विकारण के विकासशील देशों पर प्रभाव –

उत्तर– वैश्वीकरण के अविकसित या विकासशील देशों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव डालता है, जिनमें शामिल हैं:

- आर्थिक विकास – वैश्वीकरण विकासशील देशों को बड़े बाजारों, पूंजी प्रवाह और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करके उनकी आर्थिक वृद्धि बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- गरीबी घटाना – वैश्वीकरण लोगों, वस्तुओं और धन के हस्तांतरण को आसान बनाकर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में मदद करता है।
- रोग का प्रसार – वैश्वीकरण के कारण यात्रा और व्यापार में वृद्धि के माध्यम से विकसित देशों से विकासशील देशों में बीमारियों का प्रसार सुगम हो सकता है।
- प्रतिभा पलायन – वैश्वीकरण के कारण प्रतिभा पलायन हो रहा है, क्योंकि उच्च शिक्षित पेशेवर उच्च वेतन और बेहतर जीवनशैली की संभावनाओं के लिए विकसित देशों की ओर पलायन करते हैं।
- आय असमानता – वैश्वीकरण से विकासशील देशों में असमानता बढ़ सकती है।
- अन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता – गरीबी दूर करने के लिए अकेले वैश्वीकरण पर्याप्त नहीं हो सकता। अन्य हस्तक्षेप, जैसे शिक्षा, बेहतर बुनियादी ढांचा, ऋण तक पहुंच, तथा स्थानांतरित होने की क्षमता, आवश्यक हो सकते हैं।

Unit-2

प्रश्न— संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और समकालीन विश्व राजनीति में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए।

उत्तर- संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अनुसार 6 मुख्य अंग हैं जिनके द्वारा संघ अपने बहुमुखी कर्त्तव्यों को पूरा करता है। ये अंग हैं- महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, ट्रस्टीशिप कौंसिल, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इन अंगों के संगठन, शक्तियों तथा कामों का विवरण नीचे दिया जा रहा है-

1. महासभा (The General Assembly) — महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा तथा मुख्य चार्टर अंग है। यह एक प्रकार की विश्व संसद् है जिसका मुख्य काम विचार-विमर्श करना है।

रचना (Composition) - महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिलता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं। इन 193 देशों के प्रतिनिधियों को मिलाकर महासभा बनती है। हर सदस्य देश इसमें अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परन्तु हर देश का एक ही मत होता है।

इसके कार्य तथा शक्तियां (Its Power and Functions) - महासभा के मुख्य कार्य अग्रलिखित हैं-

1. निर्वाचित कार्य (Elective Functions) - महासभा 2/3 बहुमत से सुरक्षा परिषद् के 10 अस्थायी सदस्यों को दो साल के लिए चुनती है। महासभा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के सदस्य भी चुनती है। यह ट्रस्टीशिप कौंसिल के कुछ सदस्य चुनती है। सुरक्षा परिषद् तथा महासभा अलग-अलग मत प्रयोग करके अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 जजों का चुनाव करती है। महासभा सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सचिव को नियुक्त करती है।

2. विचारशील कार्य (Consideration Functions) - महासभा का सबसे महत्त्वपूर्ण काम चार्टर के अधीन सारे विषयों पर विचार करना तथा उसके आधार पर सिफारिश करना है।

3. अन्य अंगों पर नियन्त्रण (Control over other Parts) - महासभा संयुक्त राष्ट्र के दूसरे अंगों एजेन्सियों पर नियन्त्रण करती है तथा उनके कार्यों का नियन्त्रण करती है।

2. सुरक्षा परिषद् (The Security Council)— सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के समान है। चार्टर के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद् पर है। रचना (Composition)- सुरक्षा परिषद् के कुल 15 सदस्य होते हैं। ये सदस्य दो प्रकार के होते हैं-स्थायी और अस्थायी। पांच सदस्य स्थायी हैं- ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी चौन। इसके 10 अस्थायी सदस्य दो वर्षों के लिए महासभा चुनती है।

वोट डालने की विधि (Voting Procedure)- सुरक्षा परिषद् में प्रत्येक सदस्य को एक मत डालने का अधिकार दिया गया है। सुरक्षा परिषद् में कार्य विधि के मामलों (Procedural matters) में जैसे कार्य सूची (Agenda) को तैयार करने के लिए 15 में से कम-से-कम 9 सदस्यों के मत पक्ष में होने चाहिएं, परन्तु अन्य सभी मामलों के लिए 9 मतों में 5 बड़ी शक्तियों अर्थात् अमेरिका, साम्यवादी चीन, रूस, फ्रांस तथा ग्रेट ब्रिटेन के मत अवश्य ही शामिल होने चाहिएं।

सुरक्षा परिषद् के कार्य तथा शक्तियां (Functions and Powers of the Security Council)-संयुक्त राष्ट्र के अंगों में सुरक्षा परिषद् का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके मुख्य कार्य तथा शक्तियां निम्नलिखित हैं- (1) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बनाए रखना, (2) संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों का चुनाव, (3) संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन।

3. आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (The Economic and Social Council) — आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की स्थापना की गई है।

रचना (Composition)— आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की सदस्य संख्या 54 है। ये सदस्य महासभा द्वारा दो-तिहाई

बहुमत से तीन वर्ष के लिए चुने जाते हैं और एक-तिहाई सदस्य प्रति वर्ष रिटायर हो जाते हैं। हर सदस्य देश को एक वोट का अधिकार होता है और इस परिषद् के निर्णय साधारण बहुमत से किये जाते हैं।

कार्य (Functions)- आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के कार्यों का वर्णन चार्टर के अनुच्छेद 55 में किया गया है। सामाजिक-आर्थिक परिषद् सदस्य राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक सहयोग को बढ़ाने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण गतिविधियां संचालित करती है।

4. ट्रस्टीशिप कौंसिल (The Trusteeship Council) — ट्रस्टीशिप कौंसिल जिसने लीग की मैंडेट प्रणाली का स्थान लिया है, का उद्देश्य पिछड़े हुए देशों का विकसित देशों के नेतृत्व में उन्नति दिलाना है ताकि वे शीघ्रता से स्वशासन के लिए तैयार हो सकें। इस प्रणाली के अधीन सुरक्षित प्रदेशों पर निगरानी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप कौंसिल की स्थापना की गई। यह परिषद् तीन प्रकार के प्रदेशों की निगरानी करती है- (1) वे प्रदेश, जो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप शत्रु राज्यों से छीने गए। (2) वे प्रदेश, जो लोग के समय मैडेट प्रणाली के अधीन थे। (3) वे प्रदेश, जो अपनी मर्जी से इस प्रणाली के अधीन किए गए।

रचना (Composition) - ट्रस्टीशिप कौंसिल में सुरक्षा परिषद् के सारे स्थाई सदस्य होते हैं। इनके अलावा सुरक्षित प्रदेशों का प्रबन्ध चलाने वाले देश भी इसके सदस्य होते हैं। इन दोनों तरह के कुल सदस्यों के बराबर महासभा इस परिषद के लिए सदस्य चुनती है। इस परिषद् की साल में दो बैठकें होती हैं। इसके निर्णय बहुमत से होते हैं।

इसके उद्देश्य तथा कार्य (Its Aims and Functions)- ट्रस्टीशिप कौंसिल के चार मुख्य उद्देश्य हैं, जिनकी पूर्ति यह परिषद् करती हैं। वे निम्नलिखित हैं-

(1) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा में वृद्धि करना।

(2) सुरक्षित प्रदेशों का विकास करना ताकि वे स्वतन्त्रता के योग्य हो सकें।

(3) मौलिक मानवीय अधिकारों के लिए वातावरण बनाना।

(4) सामाजिक, आर्थिक तथा व्यापारिक विषयों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में समानता लाना।

5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) — अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है।

रचना (Composition)- अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 जज होते हैं जिन्हें महासभा तथा सुरक्षा परिषद् अलग-अलग स्वतन्त्र तौर पर चुनती है। जज 9 साल के लिए चुने जाते हैं। एक-तिहाई न्यायाधीश अर्थात् पांच जज हर तीन वर्ष बाद रिटायर होते हैं और उनकी जगह 5 जज चुन लिये जाते हैं।

इसका क्षेत्राधिकार (Its Jurisdiction)- अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों से सम्बन्धित सभी विषय इसके पास ले जाए जा सकते हैं। इस न्यायालय में केवल राज्यों के झगड़े ही ले जाए जा सकते हैं, व्यक्तियों के नहीं। इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार तीन प्रकार का है-

(1) अनिवार्य क्षेत्राधिकार, (2) ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, (3) सलाहकारी क्षेत्राधिकार।

6. सचिवालय (The Secretariat)— संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रबन्धक(प्रशासन) काम चलाने के लिए चार्टर के अनुसार सचिवालय स्थापित किया गया है, जिसमें संगठन की जरूरत अनुसार कर्मचारी होते हैं जिनका मुखिया महासचिव होता है। महासचिव जिसे संसार का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी कहा जा सकता है, सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा नियुक्त करती है। यह 5 साल के लिए चुना जाता है। सचिवालय के 9 विभाग है और हर भाग का मुखिया उप-महासचिव होता है। संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में दुनिया के अनेक देशों के नागरिक काम करते हैं, किन्तु उन सबकी वफादारी विश्व संस्था के प्रति

होती है। सचिवालय के अधिकारियों के लिए स्वतन्त्र रूप से अपने कार्यों को करने के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की कार्यवाहियों को लिखता है तथा प्रकाशित करता है।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की भूमिका का वर्णन —

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना — संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक मिशन संघर्ष को रोकना, संघर्षरत पक्षों को शांति स्थापित करने में सहायता करना तथा शांति सैनिकों को तैनात करना है। इसके लिए मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिम्मेदार है, लेकिन महासभा और महासचिव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. मानव अधिकारों की रक्षा — संयुक्त राष्ट्र सभी के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ावा देता है और प्रोत्साहित करता है।

3. मानवीय सहायता प्रदान करना — संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता प्रदान करता है।

4. सतत विकास और जलवायु कार्रवाई का समर्थन — संयुक्त राष्ट्र सतत विकास और जलवायु कार्रवाई का समर्थन करता है।

5. अंतर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखना — संयुक्त राष्ट्र राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का निपटारा करता है तथा कानूनी प्रश्नों पर परामर्शी राय देता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है।

6. राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना — संयुक्त राष्ट्र समान अधिकारों और लोगों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के प्रति सम्मान के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करता है।

7. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना — संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय प्रकृति की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करता है।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद 1945 में की गई थी।

प्रश्न — संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर एक लेख लिखें। (Write an essay on the role of India in U.N.O.)

उत्तर- आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाने के लिए 24 अक्तूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के आरम्भ में 51 सदस्य थे और वर्तमान में सदस्य संख्या 193 है। भारत संयुक्त राष्ट्र को प्रारम्भिक सदस्य है और इसे विश्व शान्ति के लिए महत्त्वपूर्ण संस्था मानता है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत के योगदान का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है-

1. भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना (India and U.N.O. Establishment) - भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया और चार्टर पर हस्ताक्षर करके वह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारम्भिक सदस्य बन गया। सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि श्री ए० रामास्वामी मुदालियर ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध को रोकने के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय का महत्त्व सर्वाधिक होना चाहिए। भारत की सिफारिश पर चार्टर में मानव अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं को बिना किसी भेदभाव के प्रोत्साहित करने का उद्देश्य जोड़ा गया।

2. संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता बढ़ाने में भारत की भूमिका (Role of India in increasing the member of U.N.O.) - भारत की सदा ही यह नीति रही है कि विश्व शान्ति को बनाए रखने के लिए और संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के लिए संसार के सभी देशों को, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों में विश्वास रखते हैं, सदस्य बनना चाहिए। इसलिए 1950 से लेकर अगले 20 वर्षों तक लगातार जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चौन को सदस्य बनाने का प्रश्न आया, भारत ने सदैव इसका समर्थन किया। परन्तु अमेरिका सुरक्षा परिषद् में चीन की सदस्यता के प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग करता रहा। 1972 में अमेरिका के चीन के प्रति दृष्टिकोण बदलने पर ही चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत ने बंगला देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3. संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों में भारत का स्थान (Role of India in various U.N.O, organs)- संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों और विशेष एजेन्सियों में भारत को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। 1954 में भारत को श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित महासभा (General Assembly) की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। 1956 में स्वगीय डॉ राधाकृष्ण यूनेस्को के प्रधान चुने गये। भारत आठ बार सुरक्षा परिषद् का सदस्य रह चुका है और 30 मितम्बा, 1991 को भारत ने सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष का कार्यभार एक महीने के लिए सम्भाला। सामाजिक और आर्थिक परिषद् का भारत लगभग निरन्तर सदस्य चला आ रहा है। भारत के डॉ० नगेन्द्र सिंह को 1973 और 1982 में पुनः अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया था। फिर फरवरी, 1985 में उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया था। 1989 में भारत के आर० एस० पाठक को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया। जनवरी, 2003 में प्रथम भारतीय महिला पुलिस अधिकारी किरण बेदी संयुक्त राष्ट्र नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त हुई। वे इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होने वाली न केवल प्रथम भारतीय अपितु विश्व की प्रथम महिला अधिकारी भी हैं। 27 अप्रैल, 2012 को न्यायमूर्ति दलवीर भण्डारी को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बुना गया। नवम्बर, 2017 में दलवीर भण्डारी को पुनः अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुन लिया गया।

4. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की दृष्टि से भारत का योगदान (Role of India in the Context of International Peace and Security)- संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व शान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। भारत में विश्व शान्ति सुरक्षा को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

5. उपनिवेशवाद का विरोध (Oppose to Colonialism) - भारत उपनिवेशवाद का सदा ही विरोधी रहा है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज बुलन्द की। बंगला देश को स्वतन्त्र करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिन उपनिवेशों को स्वतन्त्रता दिलाने का प्रयल किया है, भारत ने इसका समर्थन किया है।

6. रंग-भेद के विरुद्ध संघर्ष (Struggle for Aparthied) भारत ने रंगभेद की नीति को विश्व-शनि के लिए खतरा माना है। रंग-भेद पक्षपात का सबसे व्यापक अभ्यास तथा भ्रष्टपूर्ण प्रदर्शित उदाहरण एशिया तथा अफ्रीका के काले वर्गों के प्रति गोरों की धारणा थी। रंग भेद नीति में दक्षिण अफ्रीकी सरकार सबसे आगे रही है। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कई बार रंग-भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाई और विश्व जनमत तैयार किया जिसके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक प्रस्ताव पारित किए।

प्रश्न — विश्व व्यापार संगठन की संरचना और इसकी भूमिका का वर्णन करे।

अथवा

विश्व व्यापार संगठन पर नोट लिखिए। (Write a note on World Trade Organisation.)

उत्तर- विश्व व्यापार संगठन की उत्पत्ति (Origin of World Trade Organisation)-एक जनवरी, 1948 को तटकर एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते (GATT) लागू हुआ। यह एक बहु-पक्षीय समझौता या, जिस पर लगभग 111 राज्यों के हस्ताक्षर हुए थे। यह न तो कोई संगठन था और न ही कोई न्यायालय, बल्कि एक ऐसा मंच था, जहाँ समझौता करने वाले विभिन्न राष्ट्र व्यापार सम्बन्धी अपनी समस्याओं पर बात-चीत करने, इन समस्याओं का हल ढूंढने और अपने-अपने व्यापार को बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श करने हेतु समय-समय पर इकट्ठे होते थे।

सन 1947 से गैटे (GATT) समझौते के तहत विश्व व्यापार वार्ताओं के सात दौर (सम्मेलन) चले। इसका आँठवा दौर उरुग्वे में सितम्बर, 1986 में शुरू हुआ। इसमें प्रारम्भ में 108 देश शामिल हुए। आठवें दौर की यह वार्ता सात वर्ष जारी रहने के बाद 15 दिसम्बर, 1993 को, उस समय अपने अन्तिम पड़ाव पर जा पहुँची, जब 117 देशों के प्रतिनिधिमण्डलों ने सर्वसम्मति से एक नए समझौते को स्वीकृति दी। दिसम्बर, 1993 में हुई इस सहमति के बाद 15 अप्रैल, 1994 को मोरोक्को के शहर मराकश में भारत सहित 123 देशों ने इस नई गैट संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी संधि में विश्व व्यापार संगठन के गठन और कार्य-प्रणाली का विवरण निहित है। 31 दिसम्बर, 1994 को पुराना गैट समाप्त हो गया और 1 जनवरी, 1995 को इसका स्थान नए गैट अर्थात् विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया। इस तरह पुराने गैट का नाम बदलकर 'विश्व व्यापार संगठन' (WTO)

हो गया। इस तरह विश्व व्यापार संगठन पुराने गैट का रूपांतरण है। इस नाते हम इसे नया गैट भी कह सकते हैं। जनवरी 1995 को इसके केवल 77 सदस्य थे, किन्तु नवम्बर 2001 में चीन के इसमें शामिल होने के बाद अब इसकी सदस्य संख्या 144 हो गई।

इस तरह विश्व व्यापार संगठन (WTO) समझौता उरूग्वे समझौता ही है, जिसके द्वारा प्रारम्भिक गैट अब विश्व व्यापार संगठन का ही एक भाग बन गया है। वस्तुतः विश्व व्यापार संगठन गैट का उत्तराधिकारी ही है। गैट एक मंच मात्र था, जहाँ सदस्य-देश समय-समय पर एकत्रित होते थे, किन्तु विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार की एक ऐसी व्यवस्थित और स्थायी संस्था है, जिसका एक कानूनी दर्जा है और यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (World Bank) के समान महत्त्वपूर्ण संस्था है। विश्व व्यापार संगठन गैट का विस्तार नहीं है, बल्कि उसका उत्तराधिकारी है और इसने गैट को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया है।

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य (Objectives of World Trade Organisation)- जिस समझौते के तहत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है, उसकी प्रस्तावना में इसके निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है-

1. व्यापार एवं वित्तीय गतिविधियों को इस प्रकार संचालित करना, जिससे कि पूर्ण रोजगार सुनिश्चित हो सके, वास्तविक आय और प्रभावी माँग में निरन्तर वृद्धि के द्वारा रहन-सहन के स्तर में सुधार हो सके तथा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार हो सके।

2. विश्व में उपलब्ध सम्पदा अथवा संसाधनों का उपयोग सतत विकास की दृष्टि से करना, जिससे पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण हो सके।

3. ऐसे सकारात्मक प्रयास करना, जिससे विकासशील देश, विशेषकर अल्पतम विकसित देश अपने आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में उचित भाग पा सकें।

4. प्रशुल्क (Tariff) और व्यापार की अड़चनों को दूर करते हुए, व्यापार सम्बन्धों में पक्षपातपूर्ण आचरण को हटाना एवं पारस्परिक लाभकारी व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराना।

5. गैट में शामिल एवं उरूग्वे दौर की सभी बहु-पक्षीय व्यापार वार्ताओं के फलस्वरूप अधिक स्थायी एवं व्यावहारिक बहु-पक्षीय संगठित व्यापार प्रणाली को विकसित करना।

विश्व व्यापार संगठन की संरचना (Structure of World Trade Organisation)- विश्व संगठन की संरचना में निम्नलिखित अंग अथवा संस्थाएँ शामिल हैं-

1. मंत्री स्तरीय सम्मेलन (Ministerial Conference)- मंत्री-स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का ऐसा सर्वोच्च नीति-निर्माता अंग है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसकी बैठक कम-से-कम दो वर्ष में एक बार अवश्य ही होती है। यह इस संगठन की सम्पूर्ण कार्य-प्रणाली को संचालित करता है। यह किसी भी बहु-पक्षीय समझौते के तहत समस्त विषयों पर निर्णय लेता है।

2. सामान्य परिषद (General Council)-विश्व व्यापार संगठन के प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु एक सामान्य परिषद होती है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। इसकी आमतौर पर एक महीने से एक बैठक जेनेवा में होती है। यह परिषद झगड़ा निपटान निकाय (Dispute Settlement Body) एवं व्यापार नीति समीक्षा निकाय (Trade Policy Review Body) के रूप में भी कार्य करती है। इन निकायों के अलग-अलग अध्यक्ष होते हैं।

सामान्य परिषद तीन अन्य संस्थाओं को उत्तरदायित्व प्रदान करती है। ये संस्थाएँ हैं- (1) वस्तुओं के व्यापार की परिषद (The Council for Trade in Goods), (2) सेवाओं में व्यापार की परिषद (The Council for Trade in Services) तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर व्यापार की परिषद (The Council for Trade in Intellectual Property Rights)

3. सचिवालय (Secretariat)-विश्व व्यापार संगठन का एक सचिवालय भी है। इसका एक पूर्णकालिक मुखिया होता है, जिसे महानिदेशक (Director General) कहा जाता है। इसका चयन मंत्री-स्तरीय सम्मेलन द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल चार वर्ष होता है। यह बजट, वित्त एवं वार्षिक बजट के अनुमान और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है और इनकी सामान्य परिषद की अंतिम स्वीकृति के लिए सिफारिश करता है। इसकी अहायता हेतु चार उप-निदेशक (Deputy Directors) होते है।

विश्व व्यापार संगठन के सदस्य, सदस्य-देशों के पूर्णकालिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। यह संस्था एक सदस्य-एक वोट के आधार पर कार्य करती है। इस संगठन में सदस्य देशों को विश्व व्यापार में उनकी भागीदारी के आधार पर महत्त्व नहीं दिया जाता है, बल्कि सभी देशों के साथ समान स्तर पर व्यवहार किया जाता है। इसलिए एक सदस्य एक मत का सिद्धांत अपनाया गया है, लेकिन इसके सदस्य देश विश्व व्यापार में अपने-अपने भाग के अनुपात में इसके खर्च को वहन करते हैं।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य (Functions of World Trade Organisations)- विश्व आपार संगठन निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करता है-

1. यह द्विपक्षीय एवं बहु-पक्षीय व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन, प्रबंधन और संचालन को सरल बनाने का कार्य करता है।

2. यह नागरिक विमानन, सरकारी खरीदारी, दुग्ध उत्पाद व्यापार और गो-माँस सम्बन्धी बहु-पक्षीय व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन, प्रशासन और परिचालन के लिए समुचित ढाँचे का प्रबंध करता है।

3. यह अपने सदस्यों के लिए मंत्री-स्तरीय सम्मेलन द्वारा स्वीकृत समझौतों-सम्बन्धी एवं बहु-पक्षीय व्यापार सम्बन्धी वार्ताओं तथा इसके द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए एक मंच का कार्य करता है।

4. यह अपने सदस्य देशों के व्यापार-सम्बन्धी विवाद हल करने में उनकी सहायता करता है।

5. यह अपने सदस्य देशों की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी रखता है।

6. यह अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय नीति-निर्धारण से जुड़ी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान करता है।

विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख विषयों तथा समझौतों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है-

1. बाजार पहुँच (Market Access)-विश्व व्यापार संगठन यह चाहता है कि समस्त गैर-प्रशुल्क बंधन (Non-Tariff Barriers-NTB) जो कि स्पष्ट रूप से इस संगठन में दर्ज है, को एक निश्चित समयावधि में समाप्त कर दिया जाए, लेकिन नए एन.टी.बी. (NTB), जिनको स्पष्ट तरीके से मना नहीं किया गया है, अपनाए या लागू किए जा सकते हैं।

2. प्रशुल्क स्तरों में कटौती (Reduction in Tariff Levels)- इसके सदस्य सभी विकसित देशों को इस संगठन की स्थापना के पाँच वर्षों के भीतर प्रशुल्कों को लगभग 40 प्रतिशत तक कम करना है। इसी तरह विकासशील देशों को भी एक स्वीकृत समयावधि में इन्हें कम करना है। भारत ने यह स्वीकार किया था कि वह जनवरी, 2001 तक अपने प्रशुल्कों को 54 प्रतिशत से 32 प्रतिशत कर देगा।

3. सेवाओं में व्यापार पर आय समझौता (General Agreement on Trade in Service- GATS)-निम्नलिखित चार प्रकार की सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है- प्रथम, एक सेवा का निर्यात्, जैसे चुम्बकीय माध्यम से सॉफ्ट वेयर,

द्वितीय, एक देश द्वारा दूसरे देश को सेवा की बिक्री, जैसे पर्यटन,

तृतीय, ऐसी सेवाएँ, जिनमें एक देश को व्यापारिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जैसे-बैंकिंग सेवा,

चतुर्थ, ऐसी सेवाएँ, जिनमें व्यक्तियों का हस्तातरण शामिल हो, जैसे-सलाहकारी सेवा। किन्तु केवल एक क्षेत्र में इसके सदस्यों

के बहुमत से समझौता हो पाया और वह क्षेत्र है-पर्यटन।

4. व्यापार से सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (Trade Related Intellectual Property Rights-TRIPS)- इस क्षेत्र में पेटेन्ट्स, कॉपी राइट्स, ट्रेड-मार्क, इन्टेग्रेटिड सर्कटस, इण्डस्ट्रियल डिजाइन, भौगोलिक चिह्नों तथा पौध संरक्षण के विषयों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य एक समान कानूनी ढाँचे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है, जिससे कि उन व्यक्तियों को जिन्होंने इनका आविष्कार किया हो तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोई उपलब्धि अर्जित की हो, के व्यापारिक हितों की सुरक्षा हो सकें। भारत में पेटेण्ट कानून केवल औषधियों, खाद्यान्नों तथा रासायनिक आविष्कारों के विषय में ही लागू होते हैं और यह भी सात वर्ष के लिए। अन्य सभी आविष्कारों पर 20 वर्ष के लिए पेटेण्ट कराया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन चाहता है कि सभी प्रकार के आविष्कारों के विषय में 20 वर्ष के लिए उत्पाद पेटेण्ट हो।

5. भौगोलिक चिह्न (Geographical Indications) - भौगोलिक चिह्नों का सम्बन्ध उन कानूनों से है, जो कुछ ऐसे विशिष्ट उत्पादों के स्तर को सुरक्षित रखते हैं, जिनका सम्बन्ध किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से होता है। इस व्यवस्था के तहत भारत एवं पाकिस्तान बासमती चावल का मामला उठाना चाहते हैं, क्योंकि अगस्त 2001 में अमेरिका की एक कम्पनी ने बासमती चावल को पेटेण्ट करा लिया है।

6. पौष(पादप)-जाति सुरक्षा कानून (Plant Variety Protection Law)-पौध जाति सुरक्षा कानूनों का हाल में ही महत्त्व बढ़ा है, क्योंकि अब प्रजनन प्रौद्योगिकी (Genetic Engineering) तथा जीव-तकनीकी (Bio- Technology) में भारी प्रगाति हुई है। नई पौधों की नई जातियों हेतु प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में ये कानून सुरक्षा प्रदान करते हैं।

7. व्यापार-सम्बन्धी निवेश उपाय (Trade-Related Investment Measures (TRIMS))-विश्व व्यापार संगठन की यह मान्यता है कि अनेक निवेश-सम्बन्धी तरीके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मुक्त तथा उपयुक्त प्रतियोगिता का साधन बन सकते हैं। भारत के विषय में कुछ तरीकों, जैसे कम-से-कम निर्यात कर्त्तव्यों की व्यवस्था, कम-से-कम जमा-मूल्य (Value Adddition) तथा निवेश से सम्बन्धित क्रय-विक्रय कदमों से ऐसा किया जा सकता है।

8. स्वास्थ्य्य कर तया पादप-स्वास्थ्य कर उपाय (Sanitary and Phyto Sanitary Measures)-इन उपायों का सम्बन्ध मुख्य रूप से उन शुल्कों तथा दूसरे उपक्रमों से है, जो एक सदस्य-देश अपने क्षेत्र में जीवन तथा वातावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए अपनाता है।

9. प्रक्रिया-अभिमुख परिषदें (Procedure-Oriented Councils)-विश्व व्यापार संघ यह मानता है कि व्यापार-सम्बन्धी प्रक्रियाओं में भारी अन्तर स्वयं में एक अड़चन बन सकती है, क्योंकि इनका प्रयोग जान-बूझकर कुछ विशेष प्रकार के आयातों -निर्यातों के सम्वन्ध में पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। यह सदस्य देशों में बड़ी कुशलता से व्यापारिक आदान-प्रदान में कठिनाईयों पैदा कर सकता है, इसीलिए इन्हें कम किया जाना चाहिए।

10. प्रतिरोधी उपाय (Countervailing Measures)- विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रतिरोधी उपायों को एकतरफा लागू नहीं किया जा सकता है। अगर कोई सदस्य देश अपने किसी घरेलू उद्योग को छूट (Subsidies) देकर उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने का उपाय अपनाता है, तो जिस सदस्य देश को इससे हानि होती है, वह प्रतिरोधी कार्यवाही कर सकता है, किन्तु अगर इसमें चार प्रतिशत से अधिक निर्यात का मामला है, तो इस संगठन के झगड़ा निपटारन निकाय के निर्देशों के अनुसार ही तथा इसकी स्वीकृति के साथ ही ऐसा किया जा सकता है।

11. भण्डारण-विरोधी व्यवस्था (Anti-Dumping System)-यदि किसी देश को भण्डारण से हानि हो रही हो, तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि कोई देश भण्डारण के द्वारा उसकी अर्थव्यवस्था को हानि पहुँचा रहा है, यद्यपि ऐसा करना व्यवहारिक दृष्टि से आसान नहीं है।

12. क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाएँ (Regional Trading Arrangements)-विश्व व्यापार संगठन यह स्वीकार करता है कि अधिमान्य (Preferential) क्षेत्रीय व्यापारिक व्यवस्थाएँ बहु-पक्षीय एवं भेदभाव रहित व्यापार नीति का उल्लंघन करती है

और विपरीत रास्ते का अनुसरण करती है, लेकिन 30 से भी अधिक क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को इसकी सूची में दर्ज भी किया गया है। कई अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि क्षेत्रीय व्यापार समझौते बहु-पक्षीय व्यापार का समर्थन करते हैं। ऐसे क्षेत्रीय समझौतों के विषय में इस संगठन के नियमों ने भी यह प्रयास किया कि गैर-सदस्यों द्वारा इन समझौतों को कोई हानि न पहुंचाई जाए।

विश्व व्यापार संगठन की भूमिका का मूल्यांकन (Assessment of the Role of World Trade Organisations)- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से विश्व की आर्थिक व्यवस्था को पहली बार औपचारिक रूप से सुसंगठित कानूनी सुरक्षा प्राप्त हुई है। विश्व व्यापार संगठन को सदस्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का जो कानूनी अधिकार प्राप्त है, वह विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं को भी प्राप्त नहीं है। इस संगठन के मद्देनजर अनेक सदस्य देशों ने आर्थिक नीतियों को बदलने के प्रयास आरम्भ कर दिए हैं। इसी तरह भारत में भी सीमा शुल्क कानून, पेटेण्ट कानून एवं बीज कानून में उरूग्वे चक्र के समझौते के अनुसार परिवर्तन के प्रयास प्रारम्भ हो गए हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद अब इसके सदस्य देशों की सरकारों को यह निर्णय लेने की छूट नहीं होगी कि नागरिकों के किस समूह को, अर्थव्यवस्था के किस हिस्से को तथा देश के किस क्षेत्र को अनुदान देकर उसकी प्रगाति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, अब आर्थिक सहायता एवं अनुदान की मात्रा एवं स्वरूप का निर्धारण सरकारें अपनी मर्जी या विकास की आवश्यकताओं के आधार पर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इन्हें अब इस संगठन के प्रावधानों के अनुसार ही चलना होगा।

विश्व व्यापार संगठन का समर्थन करने वाले इसके निम्नलिखित दस लाभ गिनाते हैं-

1. यह संगठन शांति के प्रसार में सहायक है।

2. इस संगठन के द्वारा विवादों का सृजनात्मक समाधान होता है।

3. इसके नियम मानव जीवन को सहज बनाते हैं।

4 . यह मुक्त-बाजार जीवन-निर्वाह को सस्ता बना देता है।

5. यह उत्पादों एवं गुणवत्ता के विकल्प प्रस्तुत करता है।

6. विश्व व्यापार को प्रोत्साहन देने से आय में वृद्धि होती है।

7. विश्व व्यापार में संवृद्धि आर्थिक विकास दर में वृद्धि करती है।

8. इसके मूल सिद्धांत जीवन को दक्षतापूर्ण बनाते हैं। 9. यह सरकारों को लाबीइंग से संरक्षण प्रदान करता है।

10. यह व्यवस्था सुशासन को प्रोत्साहन देती है।

किन्तु आलोचक इसके समर्थकों के तर्कों को स्वीकार नहीं करते हैं। इनका कहना है कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है, जो विश्व व्यापार के विषय में एक पुलिस-कर्मी की भूमिका का निर्वाह करता है। यह एक ऐसा संगठन है, जो किसी भी व्यापारिक मामले पर विचार कर सकता है और अपनी विवाद निपटान प्रणाली के तहत कोई कदम उठा सकता है। यह एक ऐसा संगठन है, जो अपनी कथित नियम आधारित व्यवस्था के नाम पर राज्यों आन्तरिक मामलों में दखल दे सकता है। आलोचकों का कहना है कि इस व्यवस्था को विकसित देशों और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने अपने एक हथियार के रूप में विकसित किया है। इस संगठन के तहत जो विश्व व्यापी आर्थिक व्यवस्था अस्तित्व में आ रही है, उसमें बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के अधिकार और कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। पहले के गैट (GATT) के प्रावधानों के तहत विकासशील देशों ने बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे, किन्तु विश्व व्यापार संगठन को जन्म देने वाले नए गैट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यही कारण है कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने टोकियो चक्र वाले गैट को उरूग्वे चक्र वाले विश्व व्यापार संगठन में बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इंसी आधार पर आलोबक इस संगठन के निर्माण को बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों

की विजय बताते हैं। यद्यपि यह कहा जाता है कि इस संगठन की स्थापना से बहु-पक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला है, किन्तु व्यवहार में तो यह संगठन सामूहिक और अलग-अलग तौर पर विकासशील देशों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर प्रभुत्व जमाने का एक साधन है। विश्व के 49 पिछड़े देशों में विश्व की 10.7 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, किन्तु विश्व के कुल उत्पादन में इनका हिस्सा मात्र 0.5 प्रतिशत ही है और विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने के बाद, इनका हिस्सा गिरकर 0.4 प्रतिशत हो गया है।

Q. G-77 (समूह -77) पर निबंध लिखें।

वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र में 1964 में स्थापित समूह 77 (G77) की 60वीं वर्षगांठ होगी। बता दें कि यह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र में जी-77 में 134 विकासशील देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य एक साथ काम करना और अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक एकजुट समूह के रूप में बातचीत करने की उनकी क्षमता को मजबूत करना भी है।

ग्रुप ऑफ 77 (जी-77) क्या है?

यह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है। जी-77 की स्थापना 15 जून, 1964 को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के पहले सत्र में की गई थी, जिसमें 77 देशों ने सत्तर-सात देशों के संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हालाँकि अब इसमें 134 देश हैं। G-77 की स्थापना संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर विकासशील देशों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने के लिए की गई थी।

ग्रुप 77: इतिहास और उत्पत्ति

जी77 (77 देशों का समूह) की स्थापना 15 जून, 1964 को 77 विकासशील देशों द्वारा की गई थी। वे जिनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के पहले सत्र के समापन पर घोषित "77 देशों के संयुक्त घोषणापत्र" के शुरुआती हस्ताक्षरकर्ता थे।

जी-77 की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक 1967 में अल्जीरिया में हुई थी, जिसमें 'चार्टर ऑफ अल्जीयर्स' को अपनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि "अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में रुझानों के परिणामस्वरूप विकासशील दुनिया में एक अरब से अधिक लोगों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है"। इस चार्टर ने वैश्विक दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तंत्र और संरचनाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंडे की नींव रखी।

दक्षिण शिखर सम्मेलन 77 देशों के समूह का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। पहला और दूसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन क्रमशः 10-14 अप्रैल 2000 को हवाना, क्यूबा में और 12-16 जून 2005 को दोहा, कतर में आयोजित किया गया था। भौगोलिक रोटेशन के सिद्धांत के अनुसार, तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन युगांडा में हुआ है।

जी77 देश

संयुक्त राष्ट्र के बाद, G77 दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अपने नाम के बावजूद, इसमें अब 134 देश शामिल हैं, जो वैश्विक आबादी का 80% हिस्सा है। हालाँकि चीन इसका पूर्ण सदस्य नहीं है।

G77 में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से लेकर अफ्रीका और एशिया-प्रशांत तक, सबसे कम विकसित देशों से लेकर छोटे द्वीप विकासशील राज्यों तक के देश शामिल हैं। हर साल जनवरी में, एक अलग देश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालता है। 2022 में, पाकिस्तान समूह का नेतृत्व करेगा और 2023 में, क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-कैनेल के नेतृत्व में क्यूबा ने अध्यक्षता की। जबकि 2024 में इसकी अध्यक्षता युगांडा ने की।

जून 2024 तक, G77 सदस्यों में निम्नलिखित राष्ट्रों को छोड़कर सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश (संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक राज्य फिलिस्तीन के साथ) शामिल हैं: आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के सदस्य, दक्षिण अमेरिका के सदस्यों को छोड़कर। दो प्रशांत सूक्ष्म राज्य — पलाऊ और तुवालु।

जी-77 के उद्देश्य—

जी-77 के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) विकासशील देशों को एक साथ मिलकर काम करने में सहायता करना तथा वैश्विक आर्थिक निर्णयों में उनकी भूमिका को अधिक सशक्त बनाना।

(ii) गरीबी कम करने के प्रयासों का समर्थन करें। विकासशील देशों में सतत विकास प्राप्त करें और लोगों के जीवन में सुधार करें।

(iii) निष्पक्ष व्यापार और निवेश नियम सुनिश्चित करना जिससे विकासशील देशों को लाभ हो और उन्हें वैश्विक व्यापार में भाग लेने का अवसर मिले।

(iv) सुनिश्चित करें कि विकासशील देशों के पास अपनी विकास परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए पर्याप्त संसाधन हों। सुनिश्चित करें कि उन्हें किफायती वित्तपोषण मिले।

(v) विकासशील देशों को अधिक उन्नत देशों से प्रौद्योगिकी और ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करना।

(vi) जलवायु परिवर्तन से निपटने, पर्यावरण की रक्षा करने तथा प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन करने की दिशा में कार्य करना।

(vii) संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करते हुए शांति, स्थिरता और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना।

(viii) वैश्विक संगठनों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाना।

(ix) विकासशील देशों को एकजुट समूह के रूप में आम चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना।

समूह —77 की गतिविधियाँ—

जी-77 वैश्विक आर्थिक सहयोग और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के दौरान संयुक्त घोषणाएं और समझौते करके सहयोग करता है। प्रारंभ में, जी-77 ने मजबूत नीतिगत सामंजस्य दर्शाया, लेकिन समय के साथ मतभेद उत्पन्न हो गए, जिसका आंशिक कारण सदस्य देशों के बीच विकास की अलग-अलग गति थी।

क्षेत्रीय एकीकरण समूहों के उदय और शीत युद्ध की समाप्ति के कारण जी-77 में रुचि कम हो गयी।

इसके परिणामस्वरूप सदस्य देशों के बीच सामूहिक नीतिगत सोच और सहयोग में गिरावट आई, तथा हाल ही में आलोचना की प्रवृत्ति बढ़ी है।

जी-77 ने वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि वैश्वीकरण में विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, विश्व अर्थव्यवस्था में तेल की भूमिका, धन असमानताएँ, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी।

जी77 की संरचना

जी77 की संरचना का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है:

अध्यक्षता – जी-77 का नेतृत्व विभिन्न सदस्य देशों द्वारा बारी-बारी से किया जाता है।

चैप्टरस और समन्वयक– समूह की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में चैप्टर्स हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए समन्वयक नियुक्त किए गए हैं।

मंत्रिस्तरीय बैठकें– सदस्य देशों के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि नियमित रूप से मिलते हैं। वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं।

24 का समूह (G24)– G24, G77 के अंतर्गत एक उपसमूह है। यह आर्थिक और वित्तीय मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ विचार-विमर्श में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है।

कार्य समूह और समितियाँ – अलग-अलग समूह व्यापार और वित्त जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर काम करते हैं। वे रणनीतियों और नीतिगत सिफारिशों पर काम करते हैं।

अन्य समूहों के साथ सहयोग– जी-77 अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ मिलकर अपनी सामूहिक आवाज बुलंद करता है।

सचिवालय सहायता – सचिवालय सदस्य देशों की सहायता के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है।

जी77 के कार्य–

जी77 के कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

- जी-77 संयुक्त राष्ट्र में 134 विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विकासशील देशों की चिंताओं की वकालत करता है।
- जी-77 अपने सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र की चर्चाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अपनी राय व्यक्त करने में सहायता करता है।
- यह महत्वपूर्ण विषयों पर साझा नीतियां और रुख विकसित करने के लिए मिलकर काम करता है।
- जी-77 आम चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील देशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है।
- यह अनुभव, ज्ञान और संसाधनों को साझा करके सदस्य देशों को समर्थन प्रदान करता है।
- जी-77 विकासशील देशों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रभावी ढंग से भाग लेने में मदद मिलती है।
- यह विकासशील देशों के बीच एकता और एकजुटता को बढ़ावा देता है ताकि उनकी सामूहिक आवाज को मजबूती मिल सके।
- जी-77 सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों का समर्थन करता है।

जी77 के लिए वित्तपोषण–

समूह 77 की गतिविधियों का वित्तपोषण प्रथम दक्षिण शिखर सम्मेलन के संबंधित निर्णयों के अनुरूप सदस्य राज्यों द्वारा दिए गए अंशदान से होता है।

★★----------★★

Unit-3

वैश्विक ऊष्मीकरण (भूमंडलीय तापन) (Global Warming)

Q. वैश्विक ताप वृद्धि किसे कहते हैं ?

अथवा

भूमण्डलीय/वैश्विक ऊष्मीकरण (Global Warming) क्या है ?

उत्तर - विश्व तापन से अभिप्राय विश्व के तापमान का लगातार बढ़ना है। पिछले कई वर्षों से विकास की अच्छी दौड़ ने पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई है, जिसके कारण जंगलों में कमी आई है, तथा ग्लेशियरों से लगातार बर्फ़ पिघल रही है। इसी कारण विश्व का तापमान लगातार बढ़ रहा है।

परिचय

ग्लोबल वार्मिंग मानव गतिविधियों, जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने, वनों की कटाई और कृषि प्रथाओं के कारण पृथ्वी के औसत सतह के तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि है। वैज्ञानिक समुदाय ने भारी सबूत प्रदान किए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और यह काफी हद तक मानवीय गतिविधियों के कारण है।

ग्लोबल वार्मिंग— ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी और अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर के कारण ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण आमतौर पर पृथ्वी के तापमान में क्रमिक वृद्धि है।

ग्लोबल वार्मिंग औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि की दीर्घकालिक प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों, जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें वातावरण में जमा हो जाती हैं, वे सूर्य से गर्मी को रोक लेती हैं और ग्रह के तापमान में वृद्धि का कारण बनती हैं। यह घटना पर्यावरणीय प्रभावों की एक विस्तृत श्रृंखला की ओर ले जाती है, जिसमें ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, अधिक लगातार और गंभीर मौसम की घटनाएं, जैव विविधता का नुकसान और मानव स्वास्थ्य जोखिम शामिल हैं।

ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के प्रयासों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करना और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, अनुकूलन के उपाय, जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना, समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों को ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से निपटने में मदद कर सकते हैं।

प्रश्न — पर्यावरण संरक्षण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गये विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिये।

(Discuss the efforts being made at the International level for the Protection of environment.)

अथवा

पर्यावरण संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। (Describe the efforts at International level for the Protection of Environment.)

उत्तर- पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास -

पर्यावरण संरक्षण के लिए समय- समय पर विश्व स्तर पर सम्मेलन होते रहे हैं तथा नियमों एवं उपनियमों का निर्माण किया गया है, जिनका वर्णन इस प्रकार है-

1. स्टॉकहोम सम्मेलन (Stockholm Conference) - पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित सबसे पहला और महत्त्वपूर्ण सम्मेलन जून, 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में किया गया था। इस सम्मेलन की महत्त्वपूर्ण सिफ़ारिशें थीं-

(i) मानवीय पर्यावरण पर घोषणा, (ii) मानवीय पर्यावरण पर कार्य योजना, (iii) संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था पर प्रस्ताव, (iv) विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रस्ताव, (v) परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर प्रस्ताव, (११) दूसरे पर्यावरण सम्मेलन किये जाने के प्रस्ताव तथा (vii) राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किये जाने के सम्बन्ध में सरकारों को सिफारिशें किये जाने का निर्णय।

2. पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित विश्व समझौतों की पुष्टि (Ratification of Global Convention Regarding Environment Protection)-1975 में अधिकांश राज्यों ने पर्यावरण से सम्बन्धित विश्व स्तरीय समझौतों को अपनी स्वीकृति प्रदान करके पर्यावरण संरक्षण आन्दोलन को और अधिक प्रभावी बना दिया। इनमें समझौतों में शामिल थे-

(i) तेल-प्रदूषण की हानि के लिए असैनिक दायित्व पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय-19691

(ii) तेल प्रदूषण के उपघातों के विषयों में खुले समुद्र में हस्तक्षेप से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय- 1969।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की नम भूमि तथा विशेषकर पानी में रहने वाले पक्षियों के रहने के स्थान पर अभिसमय- 1971

(iv) कूड़ा-कर्कट तथा अन्य सामान के ढेर लगाने से सामुद्रिक प्रदूषण को बचाने के लिए अभिसमय- 1972।

(v) विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से सम्बन्धित अभिसमय- 1972।

(vi) संकटापन्न या जोखिम में पड़े एवं जंगली पेड़-पौधों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अभिसमय-19731 (vii) जलपोतों तथा हवाई जहाजों द्वारा ढेर लगाने से सामुद्रिक प्रदूषण को बचाने के लिए अभिसमय- 1973।

3. नैरोबी घोषणा (Nairobi Declaration)- स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगाँठ का सम्मेलन 1982 में नैरोबी में किया गया। इस सम्मेलन में विलुप्त वन्य जीवों के व्यापार से सम्बन्धित प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय प्राकृतिक सम्पदा तथा खुले समुद्र में प्रदूषण इत्यादि से सम्बन्धित प्रावधानों को स्वीकार किया गया।

4. पृथ्वी सम्मेलन (Earth Summit)- स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात् पर्यावरण से सम्बन्धित सबसे महत्त्वपूर्ण सम्मेलन सन् 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में हुआ। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का आयोजन भी संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वाधान में हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय पर्यावरण एवं सन्तुलित विकास था। पृथ्वी सम्मेलन में की गई घोषणा को एजेण्डा-21 के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में स्टॉकहोम के उपबन्धों को स्वीकार करते हुए उन्हें लागू करने पर जोर दिया गया। पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित कुल 27 सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया।

5. विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक (Global Climate Change Meet) - 1997 में नई दिल्ली में विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक हुई। इस बैठक में निर्धनता, पर्यावरण तथा संसाधन प्रबन्ध के समाधान के सम्बन्ध में विकसित तथा विकासशील देशों में व्यापार की सम्भावनाओं पर विचार किया गया। इस बैठक में ग्रीन गृह गैसों (Green House Gases) को वातावरण में न छोड़ने की सम्भावनाओं पर चर्चा हुई।

6. क्योटो प्रोटोकोल (Kyoto Protocol)-1997 में पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित एक दूसरी बैठक क्योटो (जापान) में हुई। इसमें लगभग 150 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के अन्त में क्योटो घोषणा की गई जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था

की गई कि सूचीबद्ध औद्योगिक देश वर्ष 2008 से 2012 तक 1990 के स्तर से नीचे 5.2% तक अपने सामूहिक उत्सर्जन में कमी कर देंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ विकास संयंत्रों (Clean Development Machanism) लागू करने की बात की गई।

7. ब्यूनिस ऐरिस बैठक (Buenus-Aires Convention)- 1998 में अर्जेन्टाइना के शहर ब्यूनिस ऐरिस में क्योटो प्रोटोकोल की समीक्षा के लिए एक बैठक की गई। भारत जैसे देशों की यह दलील थी कि विलासिता और आवश्यकता में अन्तर किया जाना चाहिए। अर्थात् विलासिता के कारण गैसों का रिसाव न हो और आवश्यकता के कारण इसे छोड़ने से रोका न जाए। बाली सम्मेलन-2007-दिसम्बर, 2007 में इण्डोनेशिया के शहर बाली में पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण को बचाने के लिए क्योटो प्रोटोकोल को लागू करने तथा अन्य साधनों पर विचार किया गया।

8. कोपनहेगन सम्मेलन 2009 — दिसम्बर, 2009 में डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित एक विश्व सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में लगभग 190 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण को बचाने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई।

9. कानकून सम्मेलन-2010- दिसम्बर, 2010 में कानकून (मैक्सिको) में पर्यावरण सरंक्षण पर हुए विश्व सम्मेलन में 193 देश एक मसौदे पर सहमत हुए, जिसके अन्तर्गत 100 अरब डालर के ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति बनी, तथा 2011 तक विवादित मसलों को हल करने का संकल्प लिया गया।

10. डरबन सम्मेलन — दिसम्बर, 2011 में डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में पर्यावरण संरक्षण पर हुए विश्व सम्मेलन में 194 देशों ने भाग लिया। वार्ता में वर्ष 2015 के एक समझौते की रूप रेखा स्वीकार कर ली गई, जिसके अन्तर्गत भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए पहली बार कानूनी तौर पर देश बाध्य होंगे।

11. रियो + 20 सम्मेलन— 20-22 जून, 2012 को ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में जीवन्त विकास (Sustainable Development) पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को रियो +20 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस सम्मेलन के ठीक बीस साल पहले 1992 में इसी शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में लगभग 40000 पर्यावरणविद्, 10000 सरकारी अधिकारी तथा 190 देशों से राजनीतिज्ञ शामिल हुए। इस सम्मेलन की दो केन्द्रीय विषय वस्तु है, प्रथम जीवन्त विकास और गरीबी निवारण के सम्बन्ध में हरित व्यवस्था तथा द्वितीय जीवन्त विकास के लिए संस्थाओं के ढ़ांचे का निर्माण करना। सम्मेलन में जीवन्त विकास के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता, गरीबी निवारण, जीवन्त विकास के लिए महत्त्वपूर्ण संस्थाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यवाही के फ्रेमवर्क की चर्चा की गई।

12. लीमा सम्मेलन-दिसम्बर, 2014 में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन लीमा (पेरन) में हुआ। सम्मेलन में उपस्थित लगभग 190 देश उस वैश्विक समझौते के मसौदे पर राजी हो गए, जिस पर 2015 में होने वाले पेरिस सम्मेलन में मुहर लगनी है। लीमा में बनी सहमति के अन्तर्गत 31 मार्च, 2015 तक सभी देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की अपनी-अपनी योजनाएं पेश करेंगे। इस घरेलू नीतियों के आधार पर पेरिस सम्मेलन में पेश किये जाने वाले वैश्विक समझौते की रूपरेखा तय की जायेगी। पेरिस में होने वाला समझौता सन् 2020 से प्रभावी होगा।

13. पेरिस सम्मेलन- नवम्बर-दिसम्बर, 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ, जिसमें लगभग 196 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में यह सहमति बनी कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जायेगा। इसके लिए विकसित देश प्रतिवर्ष विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर की मदद देंगे। यह व्यवस्था सन् 2020 से आरम्भ होगी।

14. काटोविस सम्मेलन- दिसम्बर, 2018 में पोलैण्ड के शहर काटोविस में संयुक्त राष्ट्र के 24वें जलवायु सम्मेलन में 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नियम- कायदों को अंतिम रूप दिया गया।

15. दिसम्बर, 2020 में इंग्लैण्ड एवं फ्रांस की संयुक्त मेजबानी में आभासी (Virtual) जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन पेरिस सम्मेलन की पांचवीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पेरिस सम्मेलन में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दिया गया।

16. ग्लासगो सम्मेलन - नवम्बर, 2021 में इंग्लैण्ड के शहर ग्लासगो में सी०ओ०पी०-26 (COP-26) सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध ढंग से कम करने पर सभी देश सहमत हुए।

17. शर्म-अल-शेख सम्मेलन - नवम्बर, 2022 में मिस्त्र के शहर शर्म-अल-शेख में सी०ओ०पी०-27 (COP-27) सम्मेलन हुआ। इसमें पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर चर्चा हुई।

18. दुबई सम्मेलन - नवम्बर-दिसम्बर, 2023 में दुबई में सी०ओ०पी०-28 (COP-28) सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भाग लेते हुए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि समय-समय पर पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित सम्मेलन होते रहे हैं परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इन सम्मेलनों में लिए गये निर्णयों को उचित ढंग से लागू किया जाए।

Q. वैश्विक उष्मीकरण/ ग्लोबल वार्मिंग के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास।

वैश्विक उष्मीकरण का एक प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। वैश्विक ऊष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिंग) जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण होने वाला जलवायु परिवर्तन, अपने स्वभाव से ही, एक वैश्विक मुद्दा है। इसलिए, प्रभावी रूप से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एक साझा रणनीति और बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए।

1992 में रियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन से लेकर दिसंबर 2015 में अपनाए गए सार्वभौमिक पेरिस समझौते और वार्षिक सी.ओ.पी. तक, कई अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पहलों का यही उद्देश्य रहा है।

1980 – पहला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यक्रम

विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम (WCRP) की स्थापना 1980 में जिनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद (ICSU) द्वारा की गई थी। इसने जलवायु विज्ञान को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया, विशेष रूप से वायुमंडलीय और महासागरीय घटनाओं के संख्यात्मक सिमुलेशन के संबंध में।

नवंबर 1988 – आईपीसीसी का गठन

1970 के दशक से शुरू होकर, संख्यात्मक मॉडलिंग और उपग्रह इमेजिंग में प्रगति के आधार पर जलवायु विज्ञान परिपक्व हुआ। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारणों, चुनौतियों और परिणामों को समझने के लिए, वैज्ञानिक ज्ञान को सीमाओं से परे साझा करने की आवश्यकता थी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना की। नवंबर 1988 में। आईपीसीसी की भूमिका ऐसी रिपोर्ट तैयार करना और प्रकाशित करना है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान की वर्तमान स्थिति की स्पष्ट और अद्यतन तस्वीर प्रस्तुत करती है।

जून 1992 – रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में दूसरे पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ़ लड़ाई की शुरुआत की थी। सम्मेलन के बाद, 166 देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) पर हस्ताक्षर किए, जो ग्लोबल वार्मिंग में मानवता की भूमिका को स्वीकार करता है। हर साल, पार्टियों का एक सम्मेलन (COP) उन सभी देशों को एक साथ लाता है जिन्होंने कन्वेंशन की पुष्टि की है, जिनकी कुल संख्या 2021 तक 197 हो गई है। इस शिखर सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन की अवधारणा को भी औपचारिक रूप दिया है।

दिसंबर 1997 – क्योटो प्रोटोकॉल

यह अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन कटौती समझौता 11 दिसंबर 1997 को क्योटो, जापान में अपनाया गया था, लेकिन यह फरवरी 2005 तक लागू नहीं हुआ। इसका लक्ष्य 2008 और 2012 के बीच किसी समय छह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में 5.2% कम करना था। तदनुसार सबसे विकसित देशों द्वारा उत्सर्जन को रोकने के लिए विभिन्न पहल शुरू की गईं।

जनवरी 2005 - यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली का शुभारंभ

यूरोपीय संघ के देशों ने अपना स्वयं का "कार्बन एक्सचेंज" स्थापित करने की पहल की। इस योजना के तहत, उच्च स्तर के कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार कंपनियों को एक निश्चित संख्या में "उत्सर्जन अनुमतियाँ" दी जाती हैं। यदि वे अपनी सीमा पार कर जाती हैं, तो वे उन अन्य कंपनियों से अनुमतियाँ खरीद सकती हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है।

दिसंबर 2009 – कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन

यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों ने दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में बैठक की ताकि नए समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकें। हालांकि अक्सर इसे विफल माना जाता है, लेकिन कोपेनहेगन सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर वैश्विक तापमान में अधिकतम स्वीकार्य वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर परिभाषित करने का श्रेय दिया जा सकता है। हालांकि, प्रतिभागी वैश्विक तापमान को इस सीमा से नीचे रखने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों पर बाध्यकारी समझौते पर पहुंचने में असमर्थ रहे।

दिसंबर 2010 – कैनकन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और ग्रीन क्लाइमेट फंड

कैनकन, मेक्सिको में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, सभी पक्षों ने ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की, जिसे 2020 से प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर दिए जाएंगे, ताकि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई से निपटने के लिए पहल करने में मदद मिल सके। हालाँकि, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने फंड के वित्तपोषण के तरीके पर अपना असंतोष व्यक्त किया है।

दिसंबर 2015 – पेरिस समझौता

पेरिस में COP 21 शिखर सम्मेलन एक समझौते के साथ समाप्त हुआ, जिस पर इतिहास में पहली बार दुनिया के हर देश ने सहमति जताई। परिणामी पेरिस समझौते ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस सदी में वैश्विक तापमान को 2°C से “काफी नीचे” सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। यह विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। यह समझौता न केवल राज्यों द्वारा, बल्कि शहरों, क्षेत्रों, व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा इस परिवर्तन को करने में निभाई गई भूमिका के महत्व पर भी जोर देता है।

अक्टूबर 2018 – सितंबर 2019 – तीन आईपीसीसी रिपोर्ट (Intergovernmental Pannel on Climate Change)

दुनिया भर के आईपीसीसी जलवायु विशेषज्ञों ने एक साल के अंतराल में तीन व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित कीं। पहली रिपोर्ट 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान वृद्धि के परिणामों से संबंधित है, दूसरी रिपोर्ट भूमि पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से संबंधित है, और तीसरी रिपोर्ट महासागर और महासागरों पर इसके प्रभाव से संबंधित है।

इन रिपोर्टों ने जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक ऊष्मीकरण को रोकने के लिए स्वैच्छिक उपाय करने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संकल्प को मजबूत किया।

दिसंबर 2019 – यूरोपीय ग्रीन डील

दिसंबर 2019 में यूरोपीय परिषद द्वारा अपनाई गई यूरोपीय ग्रीन डील का मुख्य उद्देश्य 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करना है; यानी यह सुनिश्चित करना कि यूरोपीय संघ अपनी क्षमता से ज़्यादा ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन न करे (जिसे "नेट-ज़ीरो उत्सर्जन" के रूप में जाना जाता है)। डील की घोषणा के तुरंत बाद, चीन ने 2030 से पहले उत्सर्जन को "चरम" पर लाने और 2060 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने का एक समान संकल्प लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से पीछे हट गया था, जो बिडेन के चुनाव के बाद 2021 की शुरुआत में विश्व मंच पर वापस आ गया।

जैव विविधता—

जैव विविधता विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जीवों के बीच भिन्नता है, जिसमें स्थलीय, समुद्री और रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र तथा वे पारिस्थितिक परिसर शामिल हैं, जिनका वे हिस्सा हैं।

जैव विविधता को पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के समुदाय और सभी पारिस्थितिक तंत्रों से उनमें विविधता के रूप में परिभाषित किया है। जैव विविधता प्रजातियों के बीच, प्रजातियों के भीतर और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच परिवर्तनशीलता है। **जैव विविधता शब्द वाल्टर जी. रोसेन द्वारा वर्ष 1985 में बोला गया था।**

जैव विविधता वैश्वीकरण को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित है। वैश्वीकरण के जैव विविधता पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, वस्तु और लोगों के व्यापार और परिवहन में वृद्धि से गैर-देशी प्रजातियों की शुरूआत हो सकती है, जो देशी प्रजातियों को मात दे सकती है और पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर सकती है। दूसरी ओर, वैश्वीकरण भी जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अवसर पैदा कर सकता है, जैसे पर्यावरण पर्यटन और टिकाऊ उत्पादों के लिए बाजारों के विकास के माध्यम से।

जैव विविधता के लिए कुछ प्रमुख खतरे

जैव विविधता के लिए कुछ प्रमुख खतरे निम्नलिखित हैं—

(1) आवास की हानि —

प्राकृतिक आवासों को खेतों, कारखानों, सड़कों, और शहरों में बदलने से जैव विविधता को नुकसान होता है.

(2) प्रदूषण — प्रदूषण भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है।

जलवायु परिवर्तन — वैश्विक तापमान बढ़ने से पारिस्थितिक तंत्र बदलते हैं, जिससे जीवित रहने के लिए जीवों को संघर्ष करना पड़ता है।

(3) आक्रामक प्रजातियां — जहाज़ों के पतवार, गिट्टी के पानी, और मछली पकड़ने के जाल जैसे उपकरणों से आक्रामक प्रजातियां फैलती हैं, ये प्रजातियां देशी प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं।

(4) वन्यजीवों का शोषण — मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, और शिकार जैसी गतिविधियों से वन्यजीवों का शोषण होता है।

(5) संसाधनों का अत्यधिक दोहन — पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है।

(6) बढ़ती मानव आबादी भी जैव विविधता के लिए खतरा बन गई है।

(7) ग्लोबल वार्मिंग से भी जैव विविधता खतरे में पड़ गई है। वैश्विक तापमान बढ़ने से समुद्री जीवों की काफी सारी प्रजातियां लुप्त हो गई है।

Q. गरीबी और असमानता को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए कुछ प्रयास

गरीबी और असमानता को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए कुछ प्रयास इस प्रकार हैं —

उत्तर — संयुक्त राष्ट्र

गरीबी उन्मूलन से जुड़े सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली राष्ट्रीय सरकारों का समर्थन करती है. इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) 170 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में काम करता है. यूएनडीपी, देशों को विकास के परिणामों को बनाए रखने में मदद करता है।

यूरोप परिषद

सामाजिक सामंजस्य को मज़बूत करके और सामाजिक बहिष्कार को रोककर गरीबी से मुकाबला करने के लिए यूरोप परिषद ने कई काम किए हैं. यूरोपीय सामाजिक चार्टर (ईएससी) और मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन जैसे कानून गरीबी से मुकाबले में मदद करते हैं।

वर्ल्ड बैंक

वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर और वित्तपोषण अंतराल को कम करके गरीबी से मुकाबले में मदद करता है।

लैटिन अमेरिका और कैरिबियन

इस क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी के उपाय अपनाए गए हैं. इन उपायों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच जैसी चीज़ें शामिल हैं।

Unit-4

अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद (International Terrorism)

आतंकवाद का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Terrorism)-

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की शब्दावली में आंतकवाद सम्भवतः वह नवीन शब्द है, जो सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित कर चुका है; फिर भी इसकी सर्वसम्मत या सर्वव्यापी परिभाषा अभी तक नहीं दी जा सकी है। सामान्य रूप से किसी देश की स्थापित वैध व्यवस्था के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही को आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि कोई भी वैद्य व्यवस्था अवैध हिंसात्मक कार्यवाही को स्वीकार नहीं करती है।

आतंकवाद एक ऐसी कार्यवाही है, जो प्रत्यक्ष, नियमित, संगठित और केन्द्रीयकृत नहीं होती है, किन्तु यह सघन एवं विस्तृत अवश्य ही होती है। असल में यह गोरिल्ला युद्ध एवं नियमित घोषित युद्ध के बीच की अवस्था है, किन्तु इसकी परिभाषा परिस्थितियों एवं समय के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि समकालीन राजनीतिक सत्ता अपने मानदण्ड़ों के आधार पर ही इसकी परिभाषा निर्धारित करती है। अतः स्वाभाविक ही है कि जिस कार्यवाही को एक सत्ता आतंकवाद का नाम देती है, उसको उसी समय दूसरी सत्ता देश-भक्ति का नाम दे।

अर्थ— हिन्दी भाषा के 'आतंक' शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची '**टेरर' (Terror)** शब्द, लेटिन भाषा से लिया गया है। रोमन समूह की भाषाओं में स्थापित होने के बाद यह शब्द यूरोप की अन्य भाषाओं में भी प्रयुक्त होने लगा। इस मूल शब्द से उत्पन्न '**टेररिज्म (आतंकवाद) श**ब्द अब एक प्रचलित शब्द हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा आतंकवाद को समय-समय पर परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। आमतौर पर विद्वान इसकी परिभाषा सामाजिक खतरा उत्पन्न करने में समर्थ कार्य के रूप में करते हैं।

आतंकवाद-सम्बन्धी कुछ **प्रमुख परिभाषाएँ** इस प्रकार हैं—

1. शदुलेस्कू के मतानुसार "आतंकवाद मूल रूप से सम्पत्ति एवं जीवन को भारी क्षति पहुंचाने में बम तथा ऐसी ही अन्य समर्थ युक्तियों अर्थात् विस्फोटों के रूप में स्वयं को प्रकट करता है। इसके अनुसार समाज के समस्त राजनीतिक एवं कानूनी संगठनों के हिंसक विध्वंस की दृष्टि से किए आक्रमण इसमें शामिल होते हैं।"

2. जो श्वार्जनवर्गर के शब्दों में, "एक आतंकवादी को उसके तात्कालिक लक्ष्य के सन्दर्भ में सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यह लक्ष्य है-भय पैदा करने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना और इस प्रकार अपने लक्ष्य की पूर्ति करना।"

3. ब्रिया एम. जेन्किन्स ने आतंकवाद के विषय में लिखा है, "हिंसा की धमकी, व्यक्तिगत हिंसात्मक कामों और लोगों को आतंकित करने के उद्देश्य से हिंसा का विचार आतंकवाद है।"

4. लियोन जे. बैंकर और चार्फ ए. रसेल ने आतंकवाद की परिभाषा भय, बल-प्रयोग, डांट-डपट के द्वारा राजनीतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए शक्ति या हिंसा के प्रयोग की धमकी या वास्तविक प्रयोग के रूप में की है।

आतंकवाद की एक **नवीन परिभाषा** यह है कि आतंकवाद अपने प्रत्यक्ष शिकार से अधिक व्यापक समूह पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने हेतु हिंसा के प्रयोग की धमकी अथवा हिंसा का वास्तविक प्रयोग है।

आतंकवाद का उद्भव या उत्पत्ति (Emergence of Terrorism) — अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की उत्पत्ति एक प्रकार से 1948 से उस समय होती है, जब फिलिस्तीन के विभाजन के बाद इजराइल राज्य अस्तित्व में आया और बहुत से फिलिस्तीन समूहों एवं नेताओं और अनेक अरब राष्ट्रों ने इसके अस्तित्व को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद कई फिलिस्तीनी संगठनों ने इजराइल को समाप्त करने के उद्देश्य से आतंकवादी कार्यवाहियों का सहारा लिया। शीघ्र ही समस्त मध्य एशिया में आतंकवाद ने अपने पैर पसार लिए।

सन् 1960 के दशक में यूरोप में कई आतंकवादी संगठन उभर कर आए जैसे इटली की **रेड ब्रिगेड तथा पश्चिमी जर्मनी का रेड आर्मी फेक्शन।** इन दोनों संगठनों ने अपने-अपने राष्ट्र में मौजूद राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था को समाप्त करके एक नयी व्यवस्था स्थापित करने हेतु हिंसा का सहारा लिया। 1960 से 1980 तक जारी शीत युद्ध ने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा दिया। अमेरिका एवं भूतपूर्व सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों ने अधिक-से-अधिक राष्ट्रों को अपने -अपने गुट में शामिल करना अपने हित में समझा और इस प्रक्रिया में आतंकवादी संगठनों की कार्यवाही को सहन किया। इसी समय शीत युद्ध के इस दौर में इन दोनों महाशक्तियों और इनके गुटों में शामिल राष्ट्रों में शस्त्र बनाने और खरीदने की होड़ लग गयी। ऐसे में कई अवैध शस्त्र बाजार विश्व पटल पर उभरे और इन्होंने विद्रोही एवं आतंकवादी संगठनों को हथियार बेचना शुरु कर दिया। कुछ राष्ट्रों ने इन संगठनों को शस्त्रों की आपूर्ति करके अपने प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रों के सम्मुख खड़ा कर दिया और इस तरह अनेक आतंकवादी संगठन उभर आए। कुछ राज्यों ने तो छद्म युद्ध में आतंकवादी संगठनों का सहारा भी लिया।

1980 के दशक में पश्चिम एशिया के देशों में जारी आतंकवाद ने जेहादी आतंकवाद का रूप धारण कर लिया। उन आतंकवादी संगठनों से हटकर, जो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आतंकवादी कार्यवाहियों का सहारा लेते रहे थे, जेहादी समूहों ने इस्लाम धर्म का प्रयोग आतंकवादी कार्यवाहियों के लिए किया। इन्होंने स्वयं को इस्लाम धर्म के सेवक कहना शुरु किया और अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सूडान, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया एवं केन्द्रीय एशिया को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बनाया और इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले। जो राष्ट्र इन जेहादी आतंकवादियों के प्रशिक्षण केन्द्र बने, उनके पड़ोसी राष्ट्रों को अनेक परेशानियों उठानी पड़ी। इसी बीच अफगानिस्तान में सोवियत संघ के सैनिक हस्तक्षेप ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को हवा दे डाली और सोवियत हस्तक्षेप में विरुद्ध कई इस्लामिक संगठनों ने सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया। इनकी इस कार्यवाही में अमेरिका पाकिस्तान तथा कई मुस्लिम देशों ने इनकी भरपूर सहायता की। इन्होंने इन संगठनों को घातक हथियारों की आपूर्ति ही नहीं की, बल्कि प्रचुर धन भी उपलब्ध कराया। इस तरह अफगानिस्तान-पाकिस्तान का क्षेत्र इन इस्लामिक जेहादी संगठनों का क्षेत्र बन गया। बीसवीं शताब्दी के अन्त तक आतंकवाद सम्पूर्ण विश्व में फैल गया। सीमा पर आतंकवाद, राष्ट्रीयेत्तर आतंकवाद तथा नशीले पदार्थों की तस्करी, इन सबने मिलकर आतंकवाद को एक गम्भीर समस्या बना दिया। यही कारण है कि आज भारत सहित विश्व के अनेक राष्ट्र इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज अलकायदा, हरकत-उल-अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-बदर एवं हम्मास जैसे कई आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। एक समय ओसामा बिन लादेन आतंकवाद का पर्याय बन चुका था। आतंकवादी आत्मघाती दस्तों और जैविक आंतकवाद के साथ अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक नए एवं महाविनाशकारी दौर में प्रवेश कर चुका है।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रकार—

1. धार्मिक आतंकवाद — इस प्रकार का आतंकवाद एक धार्मिक विचारधारा के नाम पर चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य अक्सर एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना या दूसरों पर धार्मिक विश्वास थोपना होता है।

2. राज्य प्रायोजित आतंकवाद —इस प्रकार का आतंकवाद अक्सर राज्यों या राज्य अभिनेताओं द्वारा अपने राजनीतिक या रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जाता है।

3. सुगठित एवं वित्त पोषित संगठनों का आतंकवाद — ये संगठन अपनी हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा सम्पूर्ण विश्व को आतंकित किए हुए है। आंतकवादी गतिविधियाँ 'अरब रिवोल्यूशनरी बिग्रेड और इस्लामिक जेहाद जैसे संगठनों द्वारा सम्पन्न की जाती है। प्रायः जो भी आतंकवादी कार्यवाही कहीं होती है, उसकी जिम्मेदारी कोई-न-कोई संगठन ले लेता है। इस समय विश्व में जो आतंकवादी संगठन कार्यरत हैं, उनमें से प्रमुख हैं- डाइरेक्ट एक्शन ग्रुप (फ्रांस), बादर मीन हाफ ग्रुप (जर्मनी) इलम रिवोल्यूशनरी आर्गेनाइजेशन (श्री लंका) जापानी लाल सेना (जापान), हिरावलकतार (इटली) , आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (आयरलैण्ड), अल्फा (भारत), अलकायदा (पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान)। इन देशों के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजराइल एवं सऊदी अरब में भी ढेर सारे संगठन सक्रिय हैं।

4. वैश्विक आतंकवाद — विश्व में आतंकवाद ने राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर लिया है। आज वैश्वीकृत दुनिया तकनीकी प्रगति का उदाहरण है , जिसने आतंकवादी कृत्यों की गतिशीलता और घातकता को उन्नत किया है। लक्ष्यों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है जिससे वे कट्टरपंथियों के सामने आ जाते हैं जिन्होंने उन्हें आतंकवाद का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया। वर्ल्ड ट्रेड

सेंटर पर 9/11 के हमले ने संयुक्त राज्य अमेरिका को वैश्विक आतंकवाद और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने का नेतृत्व किया।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की उत्पत्ति के कारण

आतंकवाद के संभावित कारणों का पता लगाने के दौरान, विद्वानों ने पाया कि यह बताना संभव नहीं है कि किन कारणों से लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारणों की पहचान करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। हालाँकि, इस संबंध में किए गए कई शोधों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के तीन कारणों की पहचान की है- घरेलू राजनीतिक अस्थिरता, विफल राज्य, वैचारिक और मनोवैज्ञानिक ।

1. घरेलू अस्थिरता – घरेलू अस्थिरता कई तरह से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में योगदान कर सकती है। राजनीतिक या सामाजिक अस्थिरता का अनुभव करने वाले देशों में, आतंकवादी समूह पैर जमाने, सदस्यों की भर्ती करने और अधिक आसानी से हमले करने में सक्षम हो सकते हैं। यह कानून और व्यवस्था में गिरावट, कमजोर या भ्रष्ट शासन, और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण हो सकता है। घरेलू अस्थिरता भी चरमपंथी विचारधाराओं के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती है, जो आतंकवादी समूहों के विकास को बढ़ावा दे सकती हैं।

2. विफल राज्य – एक विफल राज्य एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों के लिए बुनियादी सेवाएं और सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है, और अक्सर कमजोर या अस्तित्वहीन शासन, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति की विशेषता होती है। विफल राज्य आतंकवाद के विकास के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवादी समूह दंड से मुक्ति के साथ काम करने में सक्षम हो सकते हैं और उन क्षेत्रों में पैर जमा सकते हैं जहां सरकार नियंत्रण करने में असमर्थ है। 도

3. वैचारिक और मनोवैज्ञानिक–

वैचारिक कारक –अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को प्रेरित करने में विचारधारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आतंकवादी समूहों की अक्सर एक विशिष्ट राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा होती है जिसे वे हिंसक तरीकों से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे समूह इस्लाम की एक कट्टरपंथी व्याख्या से प्रेरित हैं और एक वैश्विक खिलाफत स्थापित करना चाहते हैं।

मनोवैज्ञानिक कारक– मनोवैज्ञानिक कारक भी व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई आतंकवादी वास्तविक या कथित शिकायत या अन्याय की भावना से प्रेरित होते हैं। वे समाज द्वारा हाशिए पर या उत्पीड़ित महसूस कर सकते हैं, और मानते हैं कि हिंसा ही उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है।

निष्कर्ष – वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक जटिल और बहुआयामी घटना है जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। दुनिया के परस्पर जुड़ाव ने आतंकवादी समूहों के लिए अपना प्रभाव फैलाना और सीमाओं के पार हमले करना आसान बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारणों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारक शामिल हों। आतंकवाद के मूल कारणों से निपटना, अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। अंततः, दुनिया में शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आतंकवाद के अंतर्निहित कारणों को दूर करने और सहिष्णुता और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए किए गए प्रयास –

संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंक को रोकने के लिए किए गए प्रयास (Efforts Made by United Nations to Prevent Terrorism) अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर 1970 के दशक से ही अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय सचेत हो गया था। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद पर अकुंश लगाने हेतु अनेक कदम उठाये हैं। इसने कानूनी एवं राजनीतिक दोनों

ही स्तर पर विश्व को झकझोर करने वाली इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए प्रयासों का उल्लेख करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशिष्ट एजेन्सियों ने आतंकवाद के विरुद्ध कानूनी दस्तावेजों की रचना करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय समझोतों के एक नेटवर्क को विकसित किया है। ये विशिष्ट एजेन्सियाँ हैं- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO), अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन (IMO) और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) और बुनियादी कानून की रचना करने वाले नौ अन्तर्राष्ट्रीय समझौते। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस विषय में निम्नलिखित कार्यवाहियों की हैं-

दिसम्बर 18, 1972 को अपनी एक साधारण बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आतंकवाद के विषय में एक प्रस्ताव पारित किया जिसके शब्द थे, "अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जो निर्दोष लोगों का जीवन समाप्त करता है या जो उनकी मूल स्वतन्त्रता को खतरे में डालता है.... को रोकने के उपाय।" इस प्रस्ताव में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और हिंसा का सहारा लेने की निन्दा की गई। इस प्रस्ताव का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग को प्रोत्साहन देना था। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि एशिया एवं अफ्रीका के लोग, जो अभी भी उपनिवेशवाद के परिणाम भुगत रहे थे, और जो 'विदेशी मालिको' के शोषण का अभी भी शिकार थे, का निरन्तर दमन आतंकवाद के हमले का एक प्रमुख कारण था। यह प्रस्ताव महासभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले राष्ट्रों के द्वारा पारित किया गया। इसके पक्ष में 80 सदस्यों ने और विपक्ष में 37 सदस्यों ने वोट दिया, जब कि 17 सदस्य मतदान में उपस्थित ही नहीं हुए। इस प्रस्ताव के. बाद आतंकवाद को रोकने के लिए महासभा द्वारा किए जाने प्रयासों का सिलसिला जारी हो गया। इस प्रस्ताव के अनुसार महासभा के अध्यक्ष ने 1973 में एक 35 सदस्यों वाली तदर्थ समिति की स्थापना की। यद्यपि यह समिति अन्तररर्ाष्ट्रीय आतंकवाद को पारिभाषित नहीं कर पायी, फिर भी यह इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्रस्तुत करने में सफल रही।

1. बन्धक बनाने के विरुद्ध कन्वेशन (1979) - इसमें सदस्य-राज्य बन्धक बनाने वाले व्यक्तियों अथवा संगठनों को दण्डित करने पर सहमत हो गए। ये अपने-अपने क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने, सूचना के आदान प्रदान करने और आपराधिक या प्रत्यार्पण प्रक्रिया (Extradition Process) को सम्भव बनाने के लिए भी सहमत हुए। इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि यदि इस कन्वेशन में शामिल कोई राज्य किसी आरोपित अपराधी का प्रत्यार्पण नहीं करता, तो उसे उस मामले को अपने ही अधिकारियों के सामने अभियोजन (Prosecution) के लिए अवश्य ही प्रस्तुत करना होगा। दिसम्बर, 2000 तक इस समझौते में 94 राज्य शामिल हो गए थे।

सन् 1973 से 1990 तक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं मुक्ति आन्दोलनों में भेद करने के प्रश्न में उलझा रहा। अन्ततः 9 दिसम्बर, 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आतंकवाद की समाप्ति के लिए कदमों (Measures to Eliminate Terrorism) पर एक घोषणा स्वीकार की जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बीमारी के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने के लिए सदस्यों देशों का अपने प्रयासों में आपसी सहयोग एवं तालमेल करने का आहवान किया गया। इस प्रस्ताव में आतंकवादी कार्यवाहियों, तरीकों और इसके अमल की निन्दा की गई और यह कहा गया कि आतंकवादी कार्यवाहियों का उद्देश्य मानवाधिकारों, मौलिक स्वतन्त्रताओं, और लोकतन्त्र का विनाश करना, राष्ट्रों की प्रादेशिक अखण्डता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना और अनेक स्थापित सरकारों को अस्थिर करना है।

2. संयुक्त राष्ट्र एवं सहयोगी कर्मचारियों की सुरक्षा पर कन्वेशन (1994)-संयुक्त राष्ट्र कर्मवारियों पर हुए हमलों की अनेक घटनाएं घटने के बाद, 9 दिसम्बर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सदस्य-देशों से आतंकवाद के उन्मूलन के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया था। इन हमलों में अनेक कर्मचारी की मौत हुई थी और अनेक घायल हुए थे। दिसम्बर, 2000 तक इस कन्वेंशन के पक्ष में 49 राज्य थे।

3. आतंकवादी बमबारी को रोकने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (1994)-इसका उद्देश्य आतंकवादी बमबारी के लिए वांछित व्यक्तियों को 'सुरक्षित स्थलो' से वंचित रखना है। इसके अन्तर्गत इसमें शामिल प्रत्येक राज्य को इस बात के लिए वचनबद्ध किया गया कि यदि वह प्रत्यार्पण की मांग करने वाले दूसरे राज्य को ऐसे वांछित लोगों का प्रत्यार्पण नहीं करता, तो यह उन्हें स्वयं दण्डित करे। दिसम्बर, 2000 तक 17 राज्यों ने इस कन्वेंशन की पुष्टि की थी।

इस प्रस्ताव के पश्चात् लगभग प्रत्येक वर्ष महासभा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु सदस्य-राज्यों से आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित करती रही। दिसम्बर, 1998 में महासभा ने सदस्य- राज्यों से कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति के लिए किए गए समझौता को लागू करने के लिए वे अपने यहाँ कानून निर्मित करने की आवश्यकता को प्राथमिकता दें।

4. 1999 में अन्तर्राष्ट्रीय अपराध रोकने के वियना केन्द्र (International Crime Prevention Centre, Vienna) में एक आतंकवाद निरोध शाखा की स्थापना की गई। इस शाखा का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की योग्यता में वृद्धि करना था। 19 अक्टूबर, 1999 को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने भी एक प्रस्ताव पारित किया तथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बढ़ती मुसीबत के विरुद्ध आपसी सहयोग करने को कहा।

इसके बाद 9 दिसम्बर, 1999 को महासभा ने 28 अनुच्छेद वाला एक और प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा आतंकवादी संगठनों को धन दिए जाने की समाप्ति के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रारुप को जारी किया गया। इस प्रलेख में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बुराई को समाप्त करने के लिए आपसी सहयोग आवश्यक है। इसके अलावा, सदस्य-राज्यों से यह भी कहा गया कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी संगठनों को न तो धन देगे और न धन देने में सहायता करेंगे और वे आतंकवादी कार्यवाहियों के विषय में सूचनाओं का आदान-प्रदान भी करेंगे।

11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका पर किए गए आतंकवादी हमलों ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को अन्तर्राष्ट्रीय कार्य-सूची (Agenda) का केन्द्र-बिन्दु बना दिया। 12 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों की निन्दा हेतु एक प्रस्ताव पारित किया। तत्पश्चात् इसने 28 सितम्बर, 2001 को एक अन्य प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए व्यापक उपायों एवं नीतियों का उल्लेख किया गया है।

आतंकवाद को रोकने हेतु अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास (Other International Efforts for the Prevention of Terrorism) - न केवल संयुक्त राष्ट्र, बल्कि इससे अलग भी आतंकवाद को रोकने के लिए विभिन्न समझौतों के रूप में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं-

1. आतंकवाद के निवारण और उसे दण्डित करने के लिए 1937 का समझौता— एक नवम्बर से 16 नवम्बर, 1937 तक जेनेवा में आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने दो समझौतों (कन्वेंशन) की जांच-पड़ताल की तथा उन्हें मंजूर किया। इनमें से पहला समझौता आतंकवाद के निवारण और आतंकवादियों को दण्डित करने के बारे में था और दूसरा समझौता एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के बारे में था। पहले समझौते में प्रस्तावना सहित 29 धाराएं थीं। इसकी प्रस्तावना में इस बात पर बल दिया गया था कि यह समझौता अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के निवारण तथा उसे दण्डित करने के कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए है।

2. आतंकवादी कार्यों के निवारण और उन्हें दण्डित करने के लिए 1971 का समझौता — अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) की महासभा ने 25 जनवरी से 2 फरवरी, 1971 तक वाशिंगटन में आयोजित अपने सम्मेलन में व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध तथा उनसे जबरदस्ती छीना-झपटी का रूप धारण करने वाले आतंकवादी कार्यों के निवारण और उन्हें दण्ड देने के लिए एक समझौते को स्वीकृति दी। इसमें प्रस्तावना सहित 13 अनुच्छेद हैं। इसकी प्रस्तावना में आतंकवादी कार्यों विशेषकर व्यक्तियों के अपहरण तथा उनसे जबरदस्ती छीना-झपटी की निन्दा की गई है और ऐसे आपराधिक कृत्यों को असामान्य गम्भीर अपराध घोषित किया गया है।

3. आतंकवाद को रोकने के बारे में 1977 का यूरोपियन कन्वेंशन- यूरोप के देशों के सहयोग से आतंकवाद को रोकने के लिए एक यूरोपीय कन्वेंशन की गयी। इस पर स्ट्रासबोर्ग में 27 जनवरी, 1977 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में प्रस्तावना सहित 16 अनुच्छेद दिए गए हैं इसकी प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है कि इस समझौते का उद्देश्य ऐसे प्रभावी कदम उठाना है, जो यह सुनिश्चित कर सकें कि आतंकवादी कार्यवाहियों को अंजाम देने वाले व्यक्ति मुकद्दमों एवं दण्ड से बच न पाएं। आतंकवाद के मुद्दे तथा इसे रोकने के लिए और अधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर कई संयुक्त कार्यों-दलों

की बैठकों में व्यापक चर्चा की गई है। इसमें भारत भी आतंकवाद के मामले में अनेक देशों के साथ रहा है। इन संयुक्त कार्य दलों में भारत-ब्रिटेन संयुक्त कार्य दल (22 जनवरी 2001 तथा 19 दिसम्बर, 2001) भारत-अमेरिका संयुक्त कार्य दल (7-8 फरवरी 2001) भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त कार्य दल (9 नवम्बर 2001) तथा भारत-कनाड़ा संयुक्त कार्यदल (22-28 अगस्त 2001) विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

4. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force — FATF) की स्थापना— वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की स्थापना जुलाई 1989 में की गई। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करता है। FATF इस बात पर शोध करता है कि कैसे धन से आतंकवाद को वित्त पोषित किया जाता है, जोखिमों को कम करने के लिए वैश्विक मानकों को बढ़ावा देता है और यह आकलन करता है कि क्या देश प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)- अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद आज विश्व समुदाय के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन कर उभरा है। इसकी क्षमताओं का पता इस बात से लग जाता है कि विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देश अमेरिका का सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र भी इससे बच नहीं पाया और 11 सितम्बर, 2001 में उसकी दो बहुमंजिली इमारते 'मिन्टो' में धराशायी हो गयीं। आज आतंकवादी संगठनों के पास अत्याधिक घातक हथियार है। नाभिकीय हथियार (Nuclear Wapons) रासायनिक एवं जैविक हथियार इनकी पहुंच की परिधि में हैं, फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इसको रोकने के लिए गम्भीर दिखायी नहीं देता है और यही कारण है कि सम्पूर्ण विश्व को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद भी इसको रोकने के लिए सार्थक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। वस्तुतः इस पर काबू पाने के लिए राष्ट्रों के मध्य जिस प्रकार का सहयोग होना चाहिए, वह मौजूद ही नहीं है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत और इसके बाहर जो भी प्रयास इस दिशा में किए गए, वे प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो पाये। इसके अतिरिक्त, जेहाद के नाम पर आतंकवादी जो समर्थन पाने में सफल हुए है, वह भी इसके रोकने के मार्ग में एक प्रमख बाधा बना हुआ है। 21 वीं शताब्दी में जिस तरह मानवता आतंकवादी हमलों का शिकार हो रही है, उसको देखकर तो यही लगता है कि यदि इस पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह एकदम बेकाबू हो जाएगा।

Q. आतंकवाद का मुकाबला करने में राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष चुनौतियां

राज्यों एवं अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष वर्तमान में आतंकवाद का मुकाबला करने में कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं—

(1) वित्त पोषण का स्रोत पता लगाने की चुनौती — आज राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती आतंकवादी संगठनों को होने वाला वित्त पोषण है आतंकवादी संगठन पैसे का प्रयोग हथियारों को खरीदने के लिए अपने विचारधारा फैलाने के लिए करते हैं आतंकवादी संगठनों को होने वाली फंडिंग को रोकना तथा उसके स्रोत का पता लगाना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने एक बड़ी चुनौती है।

(2) राज्यों के बीच की राजनीति — अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आतंकवाद से लड़ने में राष्ट्रों के बीच की राजनीति एक बड़ी चुनौती है क्योंकि विभिन्न राष्ट्र आपसी शत्रुता के कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग नहीं दे रहे हैं । उदाहरण के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच के तनाव से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तानी रवैये के कारण आतंकवाद के विरुद्ध पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा है।

(3) राज्य द्वारा आतंकवाद के प्रति उदासीन रवैया — अंतर्राष्ट्रीय सर्वप्रथम कुछ राष्ट्र का आतंकवाद के प्रति उदासीन रवैया भी वर्तमान में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

(4) आतंकवादी संगठनों को भर्ती करने से रोकना— आतंकवादी संगठन नवयुवकों को भड़का करके अपने संगठन में भर्ती कर लेते हैं। राज्यों के सामने आतंकवादी संगठनों में भर्ती को रोकना एक बड़ी चुनौती है।